

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 52]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 29 दिसम्बर 2023—पौष 8, शक 1945

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 14 दिसम्बर 2023

क्र. आर-1677875-2023-एक (1).—माननीय न्यायाधिपति, श्री अमर नाथ केशरवानी, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय खण्डपीठ, ग्वालियर के अवकाश अवधि संबंधित प्रस्ताव पत्र क्र. ओएडी-उच्च न्यायालय, जबलपुर के पत्र क्रमांक-ए-6481-दो-1-5-2022, दिनांक 26 अक्टूबर 2023 के अनुक्रम में, दिनांक 3 से 13 अक्टूबर 2023 तक, कुल ग्यारह दिवस का अवकाश पूर्ण वेतन, भत्तों सहित कम्प्यूटेड अवकाश की स्वीकृति के साथ अवकाश के पूर्व में दिनांक 1 एवं 2 अक्टूबर, 2023 के अवकाश के पश्चात् दिनांक 14 एवं 15 अक्टूबर 2023 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति उच्च न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्त) अधिनियम, 1954 की धारा 13 के अन्तर्गत प्रदान की जाती है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रंजना पाटने, उपसचिव.

गृह विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 11 दिसम्बर 2023

क्र. एफ-1(ए)31-2016-ब-2-दो.—राज्य शासन, श्रीमती मोनिका शुक्ला, भापुसे, उप पुलिस महानिरीक्षक (ग्रामीण) रेन्ज, भोपाल को दिनांक 26 से 29 दिसम्बर 2023 तक, चार दिवस अर्जित अवकाश एवं 23-25 व 30-31 दिसम्बर 2023 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृति प्रदान करता है।

(2) श्रीमती मोनिका शुक्ला, भापुसे, के अवकाश अवधि में इनका चालू कार्य श्री प्रमोद सिन्हा, भापुसे, पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण), भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ संपादित किया जावेगा।

(3) अवकाश से लौटने पर श्रीमती मोनिका शुक्ला, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न उप पुलिस

8867

महानिरीक्षक, (ग्रामीण) रेन्ज, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्रीमती मोनिका शुक्ला, भापुसे, द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कण्डिका (2) में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्रीमती मोनिका शुक्ला, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती मोनिका शुक्ला, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाती तो अपने पद पर बनीं रहतीं।

भोपाल, दिनांक 13 दिसम्बर 2023

संशोधित आदेश

क्र. एफ 1 (ए) 20-2019-ब-2-दो.—राज्य शासन, एतद्वारा श्री रोहित काशवानी, भापुसे-17, पुलिस अधीक्षक, जिला टीकमगढ़ को खण्डवर्ष 2022-25 के प्रथम विस्तार वर्ष में दिनांक 18 से 22 दिसम्बर 2023 तक, कुल पाँच दिवस अर्जित अवकाश एवं 16-17 व 23-25 दिसम्बर 2023 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ उक्त अवधि में भारत भ्रमण अंतर्गत कुर्ग (कर्नाटक) जाने हेतु अवकाश यात्रा सुविधा अंतर्गत परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ स्वीकृति प्रदान की जाती है:—

1. श्री रोहित काशवानी — स्वयं
2. श्रीमती दीपाश्री गुप्ता — पत्नी
3. श्री अर्शिव काशवानी — पुत्र

(2) श्री रोहित काशवानी, भापुसे की अवकाश अवधि में उनका चालू कार्य श्री सीताराम ससत्या, भापुसे, अति. पुलिस अधीक्षक, जिला टीकमगढ़ द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ संपादित किया जायेगा।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री रोहित काशवानी, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस अधीक्षक, जिला टीकमगढ़ के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री रोहित काशवानी, भापुसे, के कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कण्डिका (2) में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री रोहित काशवानी, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री रोहित काशवानी, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

क्र. एफ-1(ए)90-2008-ब-2-दो.—राज्य शासन, श्री चन्द्रशेखर सोलंकी, भापुसे, उप पुलिस महानिरीक्षक, निमाड़ रेन्ज, खरगौन को दिनांक 18 से 22 दिसम्बर 2023 तक, पाँच दिवस अर्जित अवकाश एवं 16-17 व 23-25 दिसम्बर 2023 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृति प्रदान करता है।

(2) श्री चन्द्रशेखर सोलंकी, भापुसे, के अवकाश अवधि में इनका चालू कार्य श्री राजेश कुमार हिंणकर, भापुसे, उप पुलिस महानिरीक्षक, ग्रामीण रेन्ज, इन्दौर द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ संपादित किया जावेगा।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री चन्द्रशेखर सोलंकी, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न उप पुलिस महानिरीक्षक, निमाड़ रेन्ज, खरगौन के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री चन्द्रशेखर सोलंकी, भापुसे, द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कण्डिका (2) में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री चन्द्रशेखर सोलंकी, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री चन्द्रशेखर सोलंकी, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

भोपाल, दिनांक 14 दिसम्बर 2023

क्र. एफ-1(ए)33-2020-ब-2-दो.—राज्य शासन, एतद्वारा श्रीमती हितिका वासल, भापुसे, पुलिस अधीक्षक, पी.आर.टी.एस., इन्दौर को दिनांक 30 नवम्बर 2023 से 27 मई 2024 तक, एक सौ अस्सी दिवस प्रसूति अवकाश की स्वीकृति प्रदान करता है।

(2) श्रीमती हितिका वासल, भापुसे, के अवकाश अवधि में इनका चालू कार्य श्री चन्द्रशेखर चंद्रावत, भापुसे, पुलिस अधीक्षक, पी.आर.टी.एस., इन्दौर द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ संपादित किया जावेगा।

(3) अवकाश से लौटने पर श्रीमती हितिका वासल, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस अधीक्षक, पी.आर.टी.एस., इन्दौर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्रीमती हितिका वासल, भापुसे, द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कण्डिका (2) में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्रीमती हितिका वासल, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती हितिका वासल, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाती तो अपने पद पर बनीं रहतीं।

क्र. एफ 1 (ए) 73-2008-ब-2-दो.—राज्य शासन, एतद्वारा, श्री अनुराग, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक (का.व्य. एवं सु.), मध्यप्रदेश, भोपाल को अवकाश यात्रा सुविधा अंतर्गत खण्डवर्ष 2022-25 के प्रथम विस्तार वर्ष में दिनांक 26 से 29 दिसम्बर 2023 तक, चार दिवस आकस्मिक अवकाश एवं 24-25 व 30 दिसम्बर 2023 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ उक्त अवधि में भारत भ्रमण यात्रा अंतर्गत मुन्नार (केरल) जाने हेतु अवकाश यात्रा सुविधा अंतर्गत परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ स्वीकृति एवं 10 दिवस अर्जित

अवकाश नगदीकरण की अनुमति प्रदान की जाती है:—

- | | | |
|----------------------|---|--------|
| 1. श्री अनुराग | — | स्वयं |
| 2. श्रीमती पदमप्रिया | — | पत्नी |
| 3. कु. सुप्रज्ञा | — | पुत्री |
| 4. कु. आकृति | — | पुत्री |

(2) अवकाश से लौटने पर श्री अनुराग, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक (का.व्य.एवं सु.), मध्यप्रदेश, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री अनुराग, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अनुराग, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

क्र. एफ-1(ए)185-1991-ब-2-दो.—राज्य शासन, एतद्वारा श्री गोविन्द प्रताप सिंह, भापुसे, विशेष पुलिस महानिदेशक, अ.अ.वि., पुलिस मुख्यालय, भोपाल को पारिवारिक कारणों से दिनांक 26 से 29 दिसम्बर 2023 तक, चार दिवस अर्जित अवकाश एवं 23-25 व 30 दिसम्बर 2023 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृति प्रदान करता है.

(2) श्री गोविन्द प्रताप सिंह, भापुसे, के अवकाश अवधि में इनका चालू कार्य श्री पवन कुमार श्रीवास्तव, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक, सतर्कता, पुलिस मुख्यालय, भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ संपादित किया जावेगा.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री गोविन्द प्रताप सिंह, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न विशेष पुलिस महानिदेशक, अ.अ.वि., पुलिस मुख्यालय, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री गोविन्द प्रताप सिंह, भापुसे, द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कण्डिका (2) में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री गोविन्द प्रताप सिंह, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री गोविन्द प्रताप सिंह, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

भोपाल, दिनांक 15 दिसम्बर 2023

क्र. एफ 1 (ए) 59-2012-ब-2-दो.—राज्य शासन, श्री अशोक गोयल, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस सुधार, पुलिस मुख्यालय, भोपाल को खण्डवर्ष 2022-25 के प्रथम विस्तार वर्ष में दिनांक 5 से 15 दिसम्बर 2023 तक, दस दिवस अर्जित अवकाश एवं 16-17 दिसम्बर 2023 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ उक्त अवधि

में गृह नगर यात्रा अंतर्गत इंदौर जाने हेतु अवकाश यात्रा सुविधा अंतर्गत परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ स्वीकृति एवं दस दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण की अनुमति प्रदान की जाती है :—

- | | | |
|----------------------|---|-------|
| 1. श्री अशोक गोयल | — | स्वयं |
| 2. श्रीमती पूनम गोयल | — | पत्नी |

(2) श्री अशोक गोयल, भापुसे, की अवकाश अवधि में पुमनि. रेलवे एवं पुमनि. (पुलिस सुधार), पु. मु., भोपाल दोनों पदों का कार्य प्रभार श्री गौरव राजपूत, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक (योजना), पुलिस मुख्यालय, भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ संपादित किया जायेगा.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री अशोक गोयल, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस सुधार, पुलिस मुख्यालय, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री अशोक गोयल, भापुसे, के कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कण्डिका (2) में अतिरिक्त कार्यभार सम्पादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री अशोक गोयल, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अशोक गोयल, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

क्र. एफ1 (ए) 93-1999-ब-2-दो.—राज्य शासन, विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 4 दिसम्बर 2023 को निरस्त करते हुए उसके स्थान पर श्री डी. श्रीनिवास वर्मा, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक, ग्वालियर जोन, ग्वालियर को खण्डवर्ष 2022-25 के प्रथम विस्तार वर्ष में दिनांक 26 दिसम्बर 2023 से 1 जनवरी 2024 तक, सात दिवस अर्जित अवकाश एवं 23-25 दिसम्बर 2023 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ उक्त अवधि में गृह नगर यात्रा अंतर्गत विजयवाड़ा (आन्ध्रप्रदेश) जाने हेतु अवकाश यात्रा सुविधा अंतर्गत परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ अनुमति प्रदान की जाती है :—

- | | | |
|------------------------------|---|-------|
| 1. श्री डी. श्रीनिवास वर्मा, | — | स्वयं |
| 2. श्रीमती ज्योति मंतेना | — | पत्नी |
| 3. डाटला प्रणव वर्मा | — | पुत्र |

(2) श्री डी. श्रीनिवास वर्मा, भापुसे, की अवकाश अवधि में उनका चालू कार्य श्री सुशान्त कुमार सक्सेना, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, चम्बल जोन, मुरैना द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ संपादित किया जायेगा.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री डी. श्रीनिवास वर्मा, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अति. पुलिस महानिदेशक, ग्वालियर जोन, ग्वालियर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री डी. श्रीनिवास वर्मा, भापुसे, के कार्यभार ग्रहण करने पर

उक्त कण्डिका (2) में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री डी. श्रीनिवास वर्मा, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री डी. श्रीनिवास वर्मा, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

भोपाल, दिनांक 20 दिसम्बर 2023

क्र. एफ-1(ए)12-2005-ब-2-दो.—राज्य शासन, एतद्द्वारा श्री योगेश मुदगल, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक, तकनीकी सेवाएं, पु. मु. भोपाल को दिनांक 26 दिसम्बर 2023 से 05 जनवरी 2024 तक, ग्यारह दिवस अर्जित अवकाश एवं 23-25 दिसम्बर 2023 व 6-7 जनवरी 2024 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृति प्रदान करता है।

(2) श्री योगेश मुदगल, भापुसे, के अवकाश अवधि में इनका चालू कार्य श्री पवन कुमार श्रीवास्तव, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक, सर्तकता, पुलिस मुख्यालय, भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ संपादित किया जावेगा।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री योगेश मुदगल, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अति. पुलिस महानिदेशक, तकनीकी सेवाएं, पुलिस मुख्यालय, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री योगेश मुदगल, भापुसे, द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कण्डिका (2) में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री योगेश मुदगल, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री योगेश मुदगल, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

क्र. एफ 1 (ए) 14-2017-ब-2-दो.—राज्य शासन, एतद्द्वारा श्री बीरेन्द्र कुमार सिंह, भापुसे, पुलिस अधीक्षक, खण्डवा को अवकाश यात्रा सुविधा अन्तर्गत खण्डवर्ष 2022-25 के प्रथम विस्तार वर्ष में दिनांक 20 से 29 दिसम्बर 2023 तक, दस दिवस अर्जित अवकाश एवं 30-31 दिसम्बर 2023 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ उक्त अवधि में अवकाश यात्रा सुविधा अंतर्गत कोच्ची (केरल) जाने हेतु परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ अनुमति एवं दस दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है :—

1. श्री बीरेन्द्र कुमार सिंह, — स्वयं
2. श्रीमती राशि सिंह — पत्नी
3. सुश्री स्तुति सिंह — पुत्री

(2) अवकाश से लौटने पर श्री बीरेन्द्र कुमार सिंह, भापुसे, को

अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस अधीक्षक, खण्डवा के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री बीरेन्द्र कुमार सिंह, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री बीरेन्द्र कुमार सिंह, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

क्र. एफ-1(ए)176-1997-ब-2-दो.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, श्री के. पी. वेंकटेश्वर राव, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक, रीवा जोन, रीवा को दिनांक 18 दिसम्बर 2023 से 01 जनवरी 2024 तक, पन्द्रह दिवस अर्जित अवकाश एवं 16-17 दिसम्बर 2023 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृति प्रदान करता है।

(2) श्री के. पी. वेंकटेश्वर राव, भापुसे, के अवकाश अवधि में उनका चालू कार्य श्री मिथिलेश कुमार शुक्ला, भापुसे, पुलिस उप महानिरीक्षक, रीवा रेन्ज, रीवा द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ संपादित किया जावेगा।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री के. पी. वेंकटेश्वर राव, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अति. पुलिस महानिदेशक, रीवा जोन, रीवा के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री के. पी. वेंकटेश्वर राव, भापुसे, द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कण्डिका (2) में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री के. पी. वेंकटेश्वर राव, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री के. पी. वेंकटेश्वर राव, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

क्र. एफ 1 (ए) 199-1991-ब-2-दो.—राज्य शासन, एतद्द्वारा श्रीमती सुषमा सिंह, भापुसे, महानिदेशक/संचालक, लोक अभियोजन, मध्यप्रदेश, भोपाल को दिनांक 22 से 29 दिसम्बर 2023 तक, आठ दिवस अर्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान करता है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती सुषमा सिंह, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न महानिदेशक/संचालक, लोक अभियोजन, मध्यप्रदेश, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्रीमती सुषमा सिंह, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती सुषमा सिंह, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाती तो अपने पद पर बनी रहतीं।

क्र. एफ 1 (ए) 193-1991-ब-2-दो.—राज्य शासन, एतद्द्वारा श्री बी. बी. शर्मा, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक, मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग, भोपाल को दिनांक 18 से 29 दिसम्बर 2023 तक,

बारह दिवस अर्जित अवकाश एवं 16-17 व 30-31 दिसम्बर 2023 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृति प्रदान करता है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री बी. बी. शर्मा, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अति. पुलिस महानिदेशक, मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री बी. बी. शर्मा, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री बी. बी. शर्मा, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

क्र. एफ 1 (ए) 70-2017-ब-2-दो.—राज्य शासन, श्री अखिल पटेल, भापुसे, सहायक पुलिस महानिरीक्षक (एससीआरबी), पुलिस मुख्यालय, भोपाल को खण्डवर्ष 2022-25 के प्रथम विस्तार वर्ष में दिनांक 26 से 31 दिसम्बर 2023 तक, छः दिवस अर्जित अवकाश अवधि में भारत भ्रमण अंतर्गत श्रीनगर जाने हेतु परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ अनुमति एवं दस दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है :—

1. श्री अखिल पटेल	—	स्वयं
2. श्रीमती प्रियंका पटेल	—	पत्नी
3. कु. अब्याना पटेल	—	पुत्री
4. कु. आर्या पटेल	—	पुत्री

(2) श्री अखिल पटेल, भापुसे, की अवकाश अवधि में उनका चालू कार्य श्रीमती ऋचा चौबे, रापुसे, सहायक पुलिस महानिरीक्षक, राज्य अपराध अनुसंधान ब्यूरो, पु. मु., भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ संपादित किया जायेगा।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री अखिल पटेल, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक स्थानापन्न, सहायक पुलिस महानिरीक्षक (एससीआरबी), पुलिस मुख्यालय, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री अखिल पटेल, भापुसे, के कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कण्डिका (2) में अतिरिक्त कार्यभार सम्पादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री अखिल पटेल, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अखिल पटेल, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनू भलावी, अवरसचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 18 दिसम्बर 2023

फा. क्र. 4777-इक्कीस-ब (दो)-2023.—मध्यप्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 165 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, श्री प्रशांत सिंह, महाधिवक्ता, को महाधिवक्ता मध्यप्रदेश के पद पर निरंतर करते हैं।

F. No.4777-XXI-B (II)-2023.—In exercise of the powers conferred by Article 165 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh is pleased to continue Shri Prashant Singh, as Advocate General of Madhya Pradesh.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
उमेश पाण्डव, सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, मध्यप्रदेश राज्य सहकारी अधिकरण, भोपाल

बी 'विंग' भूतल, विध्याचल भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 14 दिसम्बर 2023

शीतकालीन अवकाश बाबत

क्र. सह.अधि.-स्था.-2023-1494.—मध्यप्रदेश राज्य सहकारी अधिकरण के अध्यक्ष को मध्यप्रदेश राज्य सहकारी अधिकरण विनियम, 2000 के विनियम क्रमांक 24 के प्रावधानों के अनुसार माननीय उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश के द्वारा घोषित शीतकालीन अवकाश दिनांक 25 दिसम्बर 2023 से 31 दिसम्बर 2023 तक, सात दिन का लाभ उठाने की पात्रता है।

2. तदनुसार इस अधिकरण के माननीय अध्यक्ष दिनांक 25 दिसम्बर 2023 से 31 दिसम्बर 2023 तक शीतकालीन अवकाश पर रहेंगे, जिसके फलस्वरूप न्यायालय में उक्त अवधि में शीतकालीन अवकाश रहेगा।

3. तथापि उक्त दिवसों में अधिकरण में कार्यालयीन कार्य यथावत् जारी रहेगा।

दीपायन मुखर्जी, प्र. रजिस्ट्रार.

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला मन्दसौर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

मन्दसौर, दिनांक 12 दिसम्बर 2023

[राज्य शासन के आदेश राजस्व विभाग मंत्रालय भोपाल दिनांक 12 नवम्बर 2014 आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति मध्यप्रदेश राजपत्र भाग-1 पृष्ठांकन क्रमांक 3466/69, दिनांक 14 नवम्बर 2014 के अन्तर्गत कंडिका-11 (1) के तहत सार्वजनिक सूचना]

क्र. -रीडर-1-भू-अर्जन-2023.—चूंकि, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग की आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति अधिसूचना दिनांक 12 नवम्बर 2014 एवं राजपत्र भाग-1 पृष्ठांकन क्रमांक 3466/69, दिनांक 14 नवम्बर 2014 के अन्तर्गत कंडिका-11 (1) के तहत राज्य सरकार के विभिन्न विभागों एवं उपक्रमों की सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निर्माण की जाने वाली अधोसंरचनाओं के लिये समय-समय पर निजी भूमि की आवश्यकता पड़ती है। इस नीति के अन्तर्गत राज्य शासन के विभाग/उपक्रम कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, मंदसौर हेतु निर्माण संभाग, उज्जैन द्वारा मंदसौर जिले के ग्राम डोडिया मीणा से कोलवा मार्ग के कि. मी. 2/4 में शिवना नदी पर जलमगनीय पुल निर्माण परियोजना के लिये निजी भूमि की आवश्यकता होने से प्रस्ताव तैयार कर पेश किया गया। भूमिस्वामी के द्वारा आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति की कंडिका 10 के अन्तर्गत भूमि अर्जन हेतु निर्धारित प्रारूप-ख में सहमति प्रस्तुत कर दी गई है।

क्रय नीति की आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति की कंडिका 11 (1) के अन्तर्गत सर्वसाधारण की सूचना के लिये यह सूचना जारी की जाती है कि भूमि क्रय नीति के अन्तर्गत अर्जित की जा रही भूमि एवं विभाग के पक्ष में क्रय किये जाने पर विचार किया जा रहा है। यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो वह सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में अपनी आपत्ति अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में अवकाश के दिनों को छोड़कर कार्यालयीन समय में आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। नियत अवधि के पश्चात् प्राप्त होने वाली आपत्तियों को ना तो स्वीकार किया जावेगा और ना ही उन पर किसी प्रकार का विचार किया जावेगा।

क्रय की जाने वाली भूमि का विवरण :—जिला मंदसौर, तहसील मल्हारगढ़, ग्राम डोडिया मीणा, क्षेत्रफल रकबा 0.15 हेक्टर

अनुसूची (2)

मंदसौर जिले में आने वाली निजी भूमि का विवरण

क्र.	प्रभावित कृषक का नाम	सर्वे नम्बर	कुल भूमि का रकबा	प्रभावित भूमि		
				सिंचित	असिंचित	कुल
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	श्रीमती रेखाबाई पिता भेरूलालजी मीणा निवासी-ग्राम डोडिया मीणा, तहसील मल्हारगढ़, जिला मन्दसौर (म. प्र.)	243/2	1.18	0.15	—	0.15

भूमि नक्शा व प्लान का अवलोकन भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, उपखण्ड मल्हारगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
दिलीप कुमार यादव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव।

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़ (ब्यावरा), मध्यप्रदेश

राजगढ़, दिनांक 11 दिसम्बर 2023

क्रमांक/ 12/261 भू-अर्जन/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतित होता है कि संलग्न अनुसूची (2) के खाने (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची (2) के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सर्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पडने की संभावना है।

प्रकरण क्रमांक 12/261 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि अनुसूची क्र० 1 में रामगंज मण्डी से भोपाल नई बडी रेल लाईन परियोजना हेतु भूमि का अर्जन हेतु तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ की आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है, अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है, कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की स.क्र.(6) में अंकित सर्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

अनुसूची(1)

ग्राम :- कडियामित्रसेन		तहसील :- नरसिंहगढ़		
स.क्र.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा हे०		
		सिंचित	असिंचित	कुल
1	2	3	4	5
निजी	भूमि	1.510	-	1.510

अनुसूची(2)

स.क्र.	भूस्वामी का नाम	सर्वे न.	कुल रकबा	प्रभावित रकबा	विवरण
1	2	3	4	5	6
1	श्री मति ग्यारसी बाई पत्नि गोकुल प्रसाद जाति अहीर	220/1	0.211	0.050	रामगंज मण्डी से भोपाल नई बडी रेलवे लाईन में प्रभावित भूमि
		222/1	0.776	0.162	
		230	0.190	0.072	
2	मुकेश पिता गोकुलप्रसाद जाति अहीर	220/2	0.210	0.079	
		222/2	0.388	0.078	
3	बापूलाल पिता गोपीलाल जाति अहीर	220/3	0.210	0.038	
4	जगदीश प्रसाद पिता गोकुल प्रसाद जाति अहीर	221/2	0.658	0.020	
5	गोकल प्रसाद पिता गोपी लाल जाति अहीर	244/1	1.770	0.147	
6	गंगाराम पिता प्रभू लाल जाति अहीर	237	1.176	0.108	
7	केलाश नारान पिता रतन लाल जाति अहीर	239/2	0.942	0.069	
		234/3	0.064	0.059	
8	भगवान सिंह पिता लक्ष्मी नारायण जाति अहीर	263/1	0.569	0.277	
		264	0.582	0.026	
9	शिवप्रसाद पिता रघुनाथप्रसाद विश्वकर्मा जाति सुतार	266/1	0.202	0.008	
10	रामप्रसाद पिता लक्ष्मी नारायण जाति अहीर	266/2	0.823	0.086	
11	भारत सिंह पिता रतनलाल जाति अहीर	234/2	0.063	0.050	
12	समन्दरसिंह, सूरजसिंह, सोहनसिंह, मनोहरसिंह, पिता मथरालाल, संतोषबाई पुत्री मथरालाल जाति अहीर	269/1	0.683	0.088	
13	धापू बाई पति राजाराम जाति अहीर	74/1	0.358	0.050	
14	हरिसिंह, चन्द्रसिंह पिता देवा दरियाव बाई बेवा देवा अभित,सुमित, अकित पिता भागमल गोकलबाई बेवा भागमल जाति भील	282	1.164	0.030	
15	सजन सिंह पिता बने सिंह जाति अहीर	234/1	0.063	0.013	
योग	भूस्वामी-15	20	11.102	1.510	

क्रमांक/12263 भू-अर्जन/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतित होता है कि संलग्न अनुसूची (2) के खाने (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची (2) के खाने (7) में उसके समाने दिये गये सर्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पडने की संभावना है।

प्रकरण क्रमांक 30/भ-22 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि अनुसूची क्र० 1 में ब्यावरा - भोपाल नई बडी रेल लाईन परियोजना "ब्यावरा" स्टेशन से भोपाल परियोजना हेतु भूमि का अर्जन हेतु तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ की आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है, अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है, कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की स.क्र.(7) में अंकित सर्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

अनुसूची(1)

ग्राम :- नरसिंहपुरा		तहसील नरसिंहगढ़		
स.क्र.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा हे०		
		सिंचित	असिंचित	कुल
1	2	3	4	5
निजी	भूमि	1.865	-	1.865

अनुसूची(2)

स.क्र.	भूस्वामी का नाम	सर्वे न.	कुल रकबा	प्रभावित रकबा	विवरण
1	2	3	4	5	6
1	पुरुषोत्तम पिता धन्नालाल जाति दांगी	35/2/1	0.633	0.050	रामगंज मण्डी से भोपाल नई बडी रेलवे लाईन में प्रभावित भूमि
2	लाडसिंह पिता धन्नालाल जाति दांगी	35/2/2	0.632	0.060	
3	गोकल प्रसाद पिता हजारीलाल जाति दांगी	39	3.301	0.040	
		64/1	2.010	0.068	

4	रमेश सीताराम भगवानसिंह ओमप्रकाश पिता लक्ष्मीनारायण कमला बाई बेवा लक्ष्मीनारायण जाति दांगी	44	0.152	0.022	रामगंज मण्डी से भोपाल नई बड़ी रेल्वे लाईन में प्रभावित भूमि
		95	2.365	0.090	
5	रामेश्वर, राजू पिता रामकिशन जाति दांगी	64/2	0.860	0.040	
6	नन्नुलाल पिता भंवरलाल जाति दांगी	59	0.885	0.045	
7	सुनील पिता कैलाशनारायण जाति दांगी	97/1/2/2/1/2	0.126	0.040	
8	संतोष पिता कैलाशनारायण जाति दांगी	87/2/2	0.253	0.029	
9	राजू पिता कैलाशनारायण जाति दांगी	87/2/1/1	0.759	0.620	
10	राजू, सुनील, संतोष पिता कैलाशनारायण जाति दांगी	97/1/2/2/1/1	0.087	0.023	
11	निरपत सिंह पिता देवी सिंह जाति दांगी	87/1/4	0.849	0.160	
		27/2	0.045	0.014	
12	हरीचरण पिता रामलाल जाति दांगी	98	1.202	0.055	
13	राजू पिता रामकिशन जाति दांगी	57/2/3	0.613	0.021	
14	हंसराज पिता रामकिशन जाति दांगी	101/3	1.003	0.003	
15	देवकरण पिता नारान प्रसाद जाति दांगी	107	0.860	0.070	
16	दिलीप पिता हरीसिंह जाति दांगी	108/1	0.577	0.027	
17	कुलदीप पिता भारत सिंह जाति दांगी	108/2	0.283	0.006	
18	ओमप्रकाश पिता लक्ष्मीनारायण जाति दांगी	111/3	0.999	0.145	
19	समन्दर सिंह पिता परसराम	110/2	0.569	0.219	
20	संजय कुमार भावसार पिता श्री रामलाल भावसार जाति भावसार	97/1/2/1/1	0.131	0.002	
		97/1/2/1/2	0.052	0.004	
21	संजय कुमार चोरसिया पिता शंकरकुमार चोरसिया जाति तामोली	97/1/2/2/2	0.072	0.012	
कुल किता 21		25	19.318	1.865	

भूमि के नक्शे प्लान आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी राजस्व नरसिंहगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्रमांक/ 12265 भू-अर्जन/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतित होता है कि संलग्न अनुसूची (2) के खाने (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची (2) के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सर्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पडने की संभावना है।

इस बात पर करण क्रमांक 09/अ-89 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि अनुसूची क्र 0 में रामगंज मण्डी से भोपाल नई बडी रेल लाईन परियोजना हेतु भूमि का अर्जन हेतु तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ की आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है, अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है, कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की स.क.(6) में अंकित सर्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

अनुसूची(1)

ग्राम :- गीलाखेडी		तहसील :- नरसिंहगढ़		
स.क्र.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा हे०		
		सिंचित	असिंचित	कुल
1	2	3	4	5
निजी	भूमि	4.110	-	4.110

अनुसूची(2)

स.क.	भूस्वामी का नाम	सर्वे न.	कुल रकबा	प्रभावित रकबा	विवरण
1	2	3	4	5	6
1	स्वर्ण सिंह पिता घनश्याम सिंह जाति घोसी	200	0.620	0.440	रामगंज मण्डी से भोपाल नई बडी रेलवे लाईन में प्रभावित भूमि
2	मुकेश कुमार पिता पन्ना लाल जाति घोसी	211/2	1.069	0.477	
3	नाबी खॉ पिता करामत खा जाति फकीर	199	0.304	0.120	
4	पृथ्वी सिंह पिता नानूराम जाति घोसी	198/1	0.246	0.014	
5	रामचरण पिता धूल जी जाति घोसी	198/2	0.247	0.197	
6	रुकमा बाई बेवा घनश्याम, भगवत सिंह, श्रवणसिंह, कृष्णा बाई पिता घनश्याम न जाति घोसी	197	0.519	0.145	
7	मुकेश कुमार पिता पन्ना लाल जाति घोसी	212	0.038	0.019	
8	गंगा राम पिता रामप्रसाद जाति कलाल	426/1	0.569	0.218	
9	रसीद खा पिता करामत खा जाति फकीर	736/2/3	0.544	0.052	
10	श्यामलाल पिता दया राम जाति कलाल	737/1/2	0.800	0.027	
11	विनोद दुर्गाप्रसाद पिता जगन्नाथ जर्मिला विन्दाबाई गोराबाई सुशीलाबाई पिता जगन्नाथ जाति भंगी	735/7	0.506	0.247	

12	भवरलाल, रामदयाल, बजेश कुमार पिता लाल जी हल्का बाई बेवा लालजी जाति बसोड	735/14	0.253	0.010	रामगंज मण्डी से भोपाल नई बडी रेल्वे लाईन में प्रभावित भूमि
13	महेश कुमार पिता बाबूलाल जाति सोनी	735/19	0.506	0.096	
14	फूलवती बाई बेवा बाबूलाल ज्ञानसिंह ओमप्रकाश सतोष पिता बाबूलाल जाति चमार	778/8	1.265	0.680	
15	शांती बाई बेवा बाबूलाल राकेश वर्मा, विक्रम सिंह अनोखी लाल पिता बाबूलाल जाति चमार	778/14/4	0.443	0.100	
16	सजन बाई बेवा समन्दर सिंह केशव चन्द्र इन्द्र पिता समन्दर सिंह जाति घोसी	202	0.620	0.070	
17	भगवत सिंह पिता घनश्याम सिंह जाति घोसी	201/1	0.465	0.365	
18	जितेन्द्र पिता लक्ष्मीनारायण देव बाई बेवा लक्ष्मीनारायण जाति घोसी	209/2	0.999	0.010	
		210	0.025	0.013	
19	मदिर श्री कृष्णलाल व्यावस्थापक श्रीमान् कलेक्टर महोदय राजगढ़	422	0.936	0.030	
20	हीराबाइ बेवा लक्ष्मण लीलाबाई कम्पबाई पिता लक्ष्मण सुमेर सिंह राजेश माखन रचनाबाई पिता दरयावसिंह जाति चमार	740	1.328	0.050	
21	कमला बाई पिता गोपी लाल जाति घोसी	195/4/1	0.974	0.160	
22	जगदीश प्रसाद पिता रामप्रसाद जाति कलाल	426/2/3/2	0.503	0.300	
23	जीवन सिंह पिता खानचन्द्र जाति घोसी	738/2	1.897	0.080	
24	रघुवीरसिंह पिता चंदरसिंह जाति घोसी	778/14/3	0.190	0.190	
योग	भू-स्वामी-24	25	15.866	4.110	

भूमि के नक्शे प्लान आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी राजस्व नरसिंहगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्रमांक/12267 भू-अर्जन/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतित होता है कि संलग्न अनुसूची (2) के खाने (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची (2) के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सर्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पडने की संभावना है।

प्रकरण क्रमांक 13/23-02 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि अनुसूची क्र० 1 में रामगंज मण्डी से भोपाल नई बडी रेल लाईन परियोजना हेतु भूमि का अर्जन हेतु तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ की आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है, अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है, कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की स.क.(6) में अंकित सर्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

अनुसूची(1)

ग्राम :- बिजोरी		तहसील :- नरसिंहगढ़		
स.क्र.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा हे०		
		सिंचित	असिंचित	कुल
1	2	3	4	5
निजी	भूमि	1.528	-	1.528

अनुसूची(2)

स.क.	भूस्वामी का नाम	सर्वे न.	कुल रकबा	प्रभावित रकबा	विवरण
1	2	3	4	5	6
1	श्री राम पिता नन्दराम जाति पेंवार	127/2/2	0.633	0.463	रामगंज मण्डी से भोपाल नई बडी रेलवे लाईन में प्रभावित भूमि
		126/2	1.012	0.149	
2	अवधनारायण पिता परसराम जाति देशवाली	125/3	1.265	0.115	
		701/2/2	0.823	0.083	
3	राम प्रसाद पिता हजारी लाल जाति देशवाली	129	0.304	0.015	
		131/1	1.162	0.020	
4	राजेश पिता रामप्रसाद जाति देशवाली	130	0.316	0.065	
5	पुष्पाबाई बेवा विष्णुप्रसाद सरलाबाई पति गंगाराम हेमन्त कुमार पिता विष्णु प्रसाद जाति कायस्थ	132	2.756	0.079	
6	श्रीमति जानकी बाई पत्नी दयाराम जाति देशवाली	131/2	1.518	0.095	
7	सेराजबी बेवा बशीर खॉ रसीद खा हबीब खॉ वहीद खॉ मुस्ताक खॉ पिता बशीर खॉ जाति मुसलमान	171/1/2	1.074	0.050	
8	हबीब खॉ पिता बशीर खॉ जाति मुसलमान	171/2	0.759	0.060	
		171/3/1	0.253	0.005	
9	रसीद खॉ पिता बशीर खॉ जाति मुसलमान	171/3/2	1.012	0.020	
10	छोटेलाल पिता बंशीलाल जाति देशवाली	172/1/1/1	0.316	0.010	
11	मुशताक खा पिता बशीर खा जाति मुसलमान	203	1.012	0.149	
12	पदम सिंह पिता मदन सिंह जाति राजपूत	700/1	0.468	0.100	
13	आत्माराम पिता रामकिशन जाति देशवाली	116	0.987	0.050	
योग	भू-स्वामी -13	17	15.670	1.528	

भूमि के नक्शे प्लान आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी राजस्व नरसिंहगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्रमांक/1269/ भू-अर्जन/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतित होता है कि संलग्न अनुसूची (2) के खाने (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची (2) के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सर्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पडने की संभावना है।

प्रकरण क्रमांक 01/अ-82 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि अनुसूची क्रमांक 01 में रामगंज मण्डी से भोपाल नई बडी रेल लाईन परियोजना हेतु भूमि का अर्जन हेतु तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ की आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है, अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है, कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की स.क.(6) में अंकित सर्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

अनुसूची(1)

ग्राम :- मोयलीखुर्द		तहसील :- नरसिंहगढ़		
स.क्र.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा हे०		
		सिंचित	असिंचित	कुल
1	2	3	4	5
निजी	भूमि	0.447	-	0.447

अनुसूची(2)

स.क्र.	भूस्वामी का नाम	सर्वे न.	कुल रकबा	प्रभावित रकबा	विवरण
1	2	3	4	5	6
1	हरिप्रसाद रेवाराम, गणपत, रामसिंह, राजाराम पिता मुल्ला, बरुप्राबाई बेवा मुल्ला, गीताबाई पिता मुल्ला जाति चामर	120/4	0.607	0.067	रामगंज मण्डी से भोपाल नई बडी रेल लाईन में प्रभावित भूमि
2	ओमप्रकाश पिता रामप्रसाद जाति देशवाली	132/1	1.290	0.300	
3	बद्रीलाल पिता तुलसीराम चामर	129/2	0.942	0.080	
योग	भू-स्वामी -3	3	2.839	0.447	

भूमि के नक्शे प्लान आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी राजस्व नरसिंहगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्रमांक/1227/ भू-अर्जन/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतित होता है कि संलग्न अनुसूची (2) के खाने (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची (2) के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सर्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पडने की संभावना है।

प्रकरण क्रमांक 14/88/23 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि अनुसूची क्र. 0/1 में रामगंज मण्डी से भोपाल नई बडी रेल लाईन परियोजना हेतु भूमि का अर्जन हेतु तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ की आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है, अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है, कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की स.क्र.(6) में अंकित सर्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

अनुसूची(1)

ग्राम :- मानपिछेडी		तहसील :- नरसिंहगढ़		
स.क्र.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा हे०		
		सिंचित	असिंचित	कुल
1	2	3	4	5
निजी	भूमि	0.182	-	0.182

अनुसूची(2)

स.क्र.	भूस्वामी का नाम	सर्वे न.	कुल रकबा	प्रभावित रकबा	विवरण
1	कृष्णा बाई पति बाबूलाल जाति सुनार	5/3/1/2	0.506	0.070	रामगंज मण्डी से भोपाल नई बडी रेलवे लाईन में प्रभावित भूमि
2	रामकली बाई बेवा हरिशंकर , कैलाशनारायण , राजाराम , महेश चंद पिता हरिशंकर , शारदा , राजकुमारी , पिता हरिशंकर जाति राव	74/2	0.253	0.030	
3	प्रमोद पिता रामदेव उर्फ अवधनारायण जाति राव	74/1	0.202	0.030	
4	रमाकांत पिता रणजीतसिंह जाति राव	101/1	0.139	0.005	
5	बृजमोहन पिता भेरूसिंह जाति राव	111/1	0.050	0.010	
6	सुरेश चन्द्र पिता रणजीत सिंह जाति राव	111/2	0.051	0.013	
7	सुनिल कुमार पिता प्रहलाद सिंह जाति राव	8	0.999	0.024	
योग	भूस्वामी -7	7	2.200	0.182	

भूमि के जवशे प्लान आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी राजस्व नरसिंहगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्रमांक/12273 भू-अर्जन/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतित होता है कि संलग्न अनुसूची (2) के खाने (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची (2) के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सर्वजानिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पडने की संभावना है।

प्रकरण क्रमांक 02/2023 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि अनुसूची क्र. 02 में रामगंज मण्डी से भोपाल नई बडी रेल लाईन परियोजना हेतु भूमि का अर्जन हेतु तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ की आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है, अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है, कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की स.क.(6) में अंकित सर्वजानिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

अनुसूची(1)

ग्राम :- चैनपुराकला		तहसील :- नरसिंहगढ़		
स.क्र.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा हे०		
		सिंचित	असिंचित	कुल
1	2	3	4	5
निजी	भूमि	0.686	-	0.686

अनुसूची(2)

स.क्र.	भूस्वामी का नाम	सर्वे न.	कुल रकबा	प्रभावित रकबा	विवरण
1	2	3	4	5	6
1	मु.नारानी बाई बेवा घीसालाल , दोलतराम , रंगलाल , रेखाबाई , कलाबाई पिता घीसालाल जाति अहीर	5/1/3	0.225	0.019	रामगंज मण्डी से भोपाल नई बडी रेल्वे लाईन में प्रभावित भूमि
2	ग्यारसी राम पिता देवीराम जाति अहीर	6/1	0.979	0.019	
3	फूलसिंह पिता देवीराम जाति अहीर	6/3/1/1	0.846	0.035	
4	कमलसिंह पिता नानकराम जाति अहीर	6/3/2	0.253	0.050	
5	राजेश पिता शिवलाल जाति अहीर	8/2/2	1.012	0.005	
6	शान्तीबाई बेवा जगन्नाथ जाति अहीर	15	0.063	0.017	

		17/5	0.338	0.030	
7	रंगलाल पिता गनपतलाल , मु.कंचनबाई बेवा गनपतलाल जाति अहीर	16/2	0.379	0.010	
8	रंगलाल पिता गनपतलाल जाति अहीर	42/1	0.421	0.010	
9	विक्रम , धर्मेन्द्र पिता जीवनलाल , मु. शांतिबाई बेवा जीवनलाल जाति अहीर	18/1	0.032	0.012	रामगंज मण्डी से भोपाल नई बडी रेल्वे लाईन में प्रभावित भूमि
		18/2	0.031	0.012	
10	लीलाबाई बेवा कैलाश नारायण , आजादसिंह , दिलीपसिंह , पंकज ना.बा पिता कैलाश नारायण जाति सर.माता लीलाबाई बेवा कैलाशनारायण जाति अहीर	17/4	0.337	0.010	
11	बापूलाल पिता मोहनलाल जाति अहीर	19/1	1.327	0.040	
12	भेरूसिंह पिता मोहनलाल जाति अहीर	19/2	1.455	0.010	
13	हीरालाल पिता श्रीराम जाति अहीर	22	3.161	0.050	
		24	2.061	0.200	
14	हजारीलाल पिता हरलाल जाति अहीर	28	0.822	0.017	
15	सुशीला बाई पति बद्रीलाल , कमला बाई पति मानसिंह , रूकमणी बाई पति बापूलाल जाति अहीर	29	0.873	0.020	
16	कमलसिंह पिता भागचंद जाति अहीर	14/3/1	0.480	0.010	
17	भंवरलाल पिता अमरसिंह , देवबाई पत्नि भंवरलाल जाति चमार	50/6	0.263	0.110	
योग	भू-स्वामी-17	20	15.358	0.686	

भूमि के नक्शे प्लान आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी राजस्व नरसिंहगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

राजगढ़, दिनांक 12 दिसम्बर 2023

क्रमांक/ 12407 /भू-अर्जन/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न सूची के खाने (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (3) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है।

प्रकरण क्रमांक 38/अ-82/2023-24 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में रामगंजमण्डी से भोपाल नई बड़ी रेलवे लाईन निर्माण परियोजना तहसील ब्यावरा जिला राजगढ़ के ग्राम पीपलहेला के रेलवे लाईन बिछाने हेतु वर्णित प्रभावित शेष भूमि जिसका कृषकवार सर्वे क्रमवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है। अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पादर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क. 30 सून 2013) की धारा 11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की भूमि की अनुसूची 1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

-: अनुसूची (1) :-

तहसील : ब्यावरा

जिला : राजगढ़

रामगंजमण्डी से भोपाल नई बड़ी रेलवे लाईन निर्माण में भूमि का भू-अर्जन प्रस्ताव, ग्राम-पीपलहेला

स.क्र.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हे.में)	
		कुल रकबा	प्रभावित रकबा
(1)	(2)	(3)	(4)
1	रामगंजमण्डी से भोपाल नई बड़ी रेलवे लाईन निर्माण में प्रभावित ग्राम- पीपलहेला की भूमि की आवश्यकता।	30.892	6.071
कुल योग :-		30.892	6.071

-: अनुसूची (2) :-

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	भूमि का कुल रकबा (हे.में)	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हे.में)
1	2	3	4	5
1	जगन्नाथ पिता देव्या जाति धाकड़ नि.ग्रा.(भू.स्वा.)	100/1/1	0.524	0.030
		103/4/2	0.003	0.003
		102/6/2	0.345	0.016
		101/4	0.050	0.050
योग:-		4	0.922	0.099
2	भागीरथ पिता रामलाल जाति धाकड़ नि.ग्रा.(भू.स्वा.)	100/2/1	0.065	0.025
		102/3/2	0.062	0.040
		103/1/2	0.011	0.005
		104/1/2	0.143	0.039
योग:-		4	0.281	0.109

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	भूमि का कुल रकबा (हे.में)	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हे.में)
1	2	3	4	5
3	कमलसिंह पिता प्रेमनारायण जाति धाकड़ नि.ग्रा.(भू.स्वा.)	100/3/1	0.044	0.044
		103/2/2	0.031	0.009
		101/3/2	0.072	0.020
योग:-		3	0.147	0.073
4	धीसालाल पिता भागचन्द हि. 1/4 पे. , सुरेश पि. भागचन्द हि. 1/4 पे. , सुनीता पि. भागचन्द हि. 1/4 पे. , देवबाई बेवा भागचन्द हि. 1/4 पे. भाग जाति धाकड़ नि.ग्रा.(भू.स्वा.)	103/3/1	0.038	0.027
		104/4	0.184	0.020
योग:-		2	0.222	0.047
5	प्रेमनारायण पिता रामलाल जाति धाकड़ नि.ग्रा.(भू.स्वा.)	104/3/2	0.043	0.038
योग:-		1	0.043	0.038
6	केशरसिंह पिता गिरधारी जाति धाकड़ नि.ग्रा.(भू.स्वा.)	105/2/1	1.919	0.141
योग:-		1	1.919	0.141
7	भंवरीबाई पति भरतसिंह जाति धाकड़ नि.ग्रा.(भू.स्वा.)	108/1/2	0.091	0.029
		109/1/2/2/2	0.039	0.039
		109/1/2/4	0.200	0.010
योग:-		1	0.330	0.078
8	नन्दलाल पि. हरिप्रसाद हि. 37 पे. , पुरुषोत्तम पि. अमृतलाल , कमलाबाई पुत्री अमृतलाल, मांगीबाई हि. 57 पे. , जाति सुतार , धीसालाल पि. बालकिशन हि. 6 पे. , जाति धाकड़ नि.ग्रा.(भू.स्वा.)	109/1/2/1/2	0.009	0.009
		109/1/2/6/2	0.035	0.035
		110/1/1	0.343	0.045
योग:-		1	0.387	0.089
9	दुर्गाप्रसाद पिता गंगाधर जाति सुतार नि.ग्रा.(भू.स्वा.)	109/1/2/3/1	0.004	0.004
		109/2/1	0.045	0.035
		110/2/1	0.012	0.007
योग:-		1	0.061	0.046
10	मुंशीबाई पति सरजनसिंह जाति सुतार नि.ग्रा.(भू.स्वा.)	109/1/2/5/1	0.203	0.062
योग:-		1	0.203	0.062
11	गीताबाई पुत्री हजारीलाल हि. 33 पे. , रामचन्द्र, दुर्गाप्रसाद पि. गंगाधरहि. 33पे. , रामभरोस पि. रामप्रताप हि. 8 पे. जाति धाकड़ नि.ग्रा.(भू.स्वा.)	111/2	2.208	0.040

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	भूमि का कुल रकबा (हे.में)	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हे.में)
1	2	3	4	5
12	हीरालाल पिता भागीरथ जाति धाकड़ नि.ग्रा.(भू.स्वा.)	148/1/4/1	0.065	0.014
		122/1/1/2	0.092	0.017
	योग:-	2	0.157	0.031
13	शंकरलाल पिता भागीरथ जाति धाकड़ नि.ग्रा.(भू.स्वा.)	122/1/2/1	0.129	0.010
		148/1/2/2	0.146	0.025
		148/1/3/2	0.136	0.045
	योग:-	3	0.411	0.080
14	शांतिबाई बैवा मांगीलाल , मोहन पिता मांगीलाल, सुनील पिता मांगीलाल, होकम पिता मांगीलाल , सुगनबाई पुत्री मांगीलाल , मथरीबाई पुत्री मांगीलाल, मंजूबाई पुत्री मांगीलाल, ममताबाई पुत्री मांगीलाल जाति धाकड़ नि.ग्रा.भू.	124/1/2	0.163	0.013
	योग:-	1	0.163	0.013
15	लख्मीचंद पिता खेमचन्द जाति धाकड़ नि.ग्रा.(भू.स्वा.)	125/1/1	0.332	0.085
	योग:-	1	0.332	0.085
16	पंकज पिता बट्टीलाल जाति धाकड़ नि.ग्रा.(भू.स्वा.)	125/2/1	0.064	0.049
		125/2/3	0.020	0.020
	योग:-	2	0.084	0.069
17	बालकिशन पिता लक्ष्मन जाति धाकड़ नि.ग्रा. बड़ा कुआ भू.स्वा.)	125/3/2	0.025	0.013
		151/1/1	0.173	0.016
	योग:-	2	0.198	0.029
18	बालकिशन पिता लक्ष्मन जाति धाकड़ नि.ग्रा.(भू.स्वा.) ग्वाडी वाले	1028/2/2	0.119	0.113
		1029/2/2	0.030	0.026
	योग:-	2	0.149	0.139
19	गुलाबचन्द पिता लक्ष्मन जाति धाकड़ नि.ग्रा.(भू.स्वा.)	125/4/2	0.037	0.016
		808/4	0.232	0.005
	योग:-	2	0.269	0.021
20	रामनारायण पिता लक्ष्मन जाति धाकड़ नि.ग्रा.(भू.स्वा.)	125/5/2	0.062	0.010
	योग:-	2	0.062	0.010
21	दोलतराम पिता लक्ष्मन जाति धाकड़ नि.ग्रा.(भू.स्वा.)	125/6/2	0.081	0.009
		152/2/2	0.090	0.011
		808/6	0.281	0.005
	योग:-	3	0.452	0.025

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	भूमि का कुल रकबा (हे.में)	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हे.में)
1	2	3	4	5
22	भगवतीबाई पति बद्रीलाल हि. 1/3 भाग, चंद्रशेखर पि. बद्रीलाल हि. 1/3 भाग, नाथू पि. घीसालाल हि. 1/3. जाति धाकड़ नि.ग्रा.(भू.स्वा.)	127/1	0.600	0.067
		127/3	0.119	0.036
योग:-		1	0.719	0.103
23	घीसा पिता ऊंकार जाति धाकड़ नि. ग्रा.(भू.स्वा.)	128/1/2	0.115	0.033
योग:-		1	0.115	0.033
24	रामभरोसा पि. हजारीलाल हि. 50पे., गुलाबबाई बेवा हजारीलाल हि. 50पे., जाति धाकड़ नि.ग्रा.(भू.स्वा.)	129/1/1/3	0.250	0.114
योग:-		1	0.250	0.114
25	प्रभुलाल पि. हजारीलाल हि. 50पे., गुलाबबाई बेवा हजारीलाल हि. 50पे., जाति धाकड़ नि.ग्रा.(भू.स्वा.)	129/1/2/2	0.598	0.115
योग:-		1	0.598	0.115
26	रामचन्द्र पिता श्रीलाल जाति धाकड़ नि.ग्रा.(भू.स्वा.)	149/1/2	0.232	0.026
योग:-		1	0.232	0.026
27	पूनमचंद पिता जयसिंह जाति धाकड़ नि.ग्रा.(भू.स्वा.)	149/2/1/1	0.083	0.070
योग:-		1	0.083	0.070
28	कैलाशनारायण पिता जयसिंह जाति धाकड़ नि.ग्रा.(भू.स्वा.)	149/2/2/2	0.197	0.036
योग:-		1	0.197	0.036
29	कमलसिंह पिता खेमचन्द्र जाति धाकड़ नि.ग्रा.(भू.स्वा.)	151/2/1	0.268	0.011
योग:-		1	0.268	0.011
30	जगदीश पिता बद्रीलाल जाति धाकड़ नि.ग्रा.(भू.स्वा.)	151/4/1	0.407	0.039
योग:-		1	0.407	0.039
31	बद्रीलाल पिता अमरसिंह जाति धाकड़ नि.ग्रा.(भू.स्वा.)	792/1/3/2	0.106	0.019
योग:-		1	0.106	0.019
32	सुन्दरबाई बेवा रामनारायण, अरूण, रामविलास, रिन्कुबाई, सीमाबाई पिता रामनारायण जाति धाकड़ (फौती नामांतरण से प्रविष्टी दर्ज)	792/1/4/2	0.081	0.014
योग:-		1	0.081	0.014

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	भूमि का कुल रकबा (हे.में)	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हे.में)
1	2	3	4	5
33	फूलसिंह पिता मनीराम जाति धाकड़ नि.ग्रा.(भू.स्वा.)	793/2	0.169	0.061
योग:-		1	0.169	0.061
34	सुरेन्द्रकुमार पिता फूलसिंह जाति धाकड़ नि.ग्रा.(भू.स्वा.)	794/2	0.764	0.097
योग:-		1	0.764	0.097
35	मनीष पिता बालकिशन जाति धाकड़ नि.ग्रा.(भू.स्वा.)	796/1/2	0.025	0.022
योग:-		1	0.025	0.022
36	रामचन्द्र पिता मनीराम जाति धाकड़ नि.ग्रा.(भू.स्वा.)	1040/4/2	0.072	0.010
		796/2/1/2	0.032	0.032
		1040/4/1/2	0.071	0.036
		1040/3/1/2	0.072	0.072
योग:-		4	0.247	0.150
37	रामकरण पिता मनीराम जाति धाकड़ नि.ग्रा.(भू.स्वा.)	796/2/2/2	0.032	0.032
		1040/3/2/2	0.073	0.038
योग:-		2	0.105	0.070
38	राधेश्याम पिता प्रभुलाल जाति धाकड़ नि.ग्रा.(भू.स्वा.)	798/3/2/2/2	0.213	0.031
योग:-		1	0.213	0.031
39	रमेश, राजेश, रोहित पिता मथरालाल नि.ग्रा.भू. (फौती नामांतरण से प्रविष्टी दर्ज)	805/2/2	0.140	0.015
		803/1/2	0.191	0.089
योग:-		2	0.331	0.104
40	महेशकुमार पिता रामचन्द्र जाति धाकड़ नि.ग्रा.(भू.स्वा.)	803/2/2	0.304	0.094
योग:-		1	0.304	0.094
41	जागेश्वर पिता बट्टीलाल जाति धाकड़ नि.ग्रा.(भू.स्वा.)	803/3/2	0.384	0.011
		804/1/2	0.080	0.039
		805/3/2	0.457	0.036
योग:-		3	0.921	0.086
42	रमेश पिता मथरालाल जाति धाकड़ नि.ग्रा.(भू.स्वा.)	804/2/2	0.240	0.022
योग:-		1	0.240	0.022

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	भूमि का कुल रकबा (हे.में)	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हे.में)
1	2	3	4	5
43	शिवजी पि.गिरधारी हि. 50पे. , गीताबाई पिता गिरधारी हि. 50पे. , जाति चमार नि.ग्रा.(भू.स्वा.)	806/2	0.234	0.031
योग:-		1	0.234	0.031
44	रामनारायण पिता लक्ष्मन जाति धाकड़ नि.ग्रा.(भू.स्वा.)	808/5/1	0.036	0.036
योग:-		1	0.036	0.036
45	मांगीलाल, पुरालाल, होकमसिंह पि. रामबगस, उमरावसिंह , गोरधन काशीबाई पि. रामबगस, डालूबाई, पि. रामबगस, गोविन्द पि. लक्ष्मीचन्द जाति धाकड़ नि.ग्रा.(भू.स्वा.)	1028/3/2	0.092	0.029
योग:-		1	0.092	0.029
46	सिध्दनाथ, शंकरलाल, मु. लीलाबाई बेवा कैलाशनारायण, प्रीयंका, हिमांशी पि. कैलाशनारायण, भगवथसिंह पि. कंवरलाल, मु. भवरीबाई बेवा कंवरलाल जाति धाकड़ नि.ग्रा.(भू.स्वा.)	1028/4/2	0.147	0.052
योग:-		1	0.147	0.052
47	धुरीलाल पि. दोलतराम जाति धाकड़ नि.ग्रा.(भू.स्वा.)	1029/5/2	0.010	0.010
		1028/5	0.154	0.005
योग:-		2	0.164	0.015
48	रंगलाल पिता पन्नालाल जाति धाकड़ नि.ग्रा.(भू.स्वा.)	1030/1/2	0.091	0.025
		1041/2	0.201	0.059
योग:-		2	0.292	0.084
49	रामसिंह पिता पन्नालाल जाति धाकड़ नि.ग्रा.(भू.स्वा.)	1030/2/2	0.030	0.021
योग:-		1	0.030	0.021
50	रामचन्द्र पिता शिवलाल जाति धाकड़ नि.ग्रा.(भू.स्वा.)	1030/3/2	0.070	0.026
योग:-		1	0.070	0.026
51	बाबू पिता माधूलाल जाति धाकड़ नि.ग्रा.(भू.स्वा.)	1030/4/2	0.019	0.019
योग:-		1	0.019	0.019
52	हीरालाल पिता हरिराम जाति धाकड़ नि.ग्रा.(भू.स्वा.)	1032/1/1/2	0.022	0.018
योग:-		1	0.022	0.018
53	दरियावसिंह पिता शंकरलाल जाति धाकड़ नि.ग्रा.(भू.स्वा.)	1032/1/2/2	0.035	0.028
योग:-		1	0.035	0.028
54	रामचन्द्र पिता शंकरलाल जाति धाकड़ नि.ग्रा.(भू.स्वा.)	1032/1/3/2	0.149	0.031
योग:-		1	0.149	0.031

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	भूमि का कुल रकबा (हे.में)	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हे.में)
1	2	3	4	5
55	प्रेमसिंह पिता मनीराम जाति धाकड़ नि.ग्रा.(भू.स्वा.)	1032/2/2	0.221	0.219
योग:-		1	0.221	0.219
56	खेमचन्द्र पिता मदनलाल जाति धाकड़ नि.ग्रा.(भू.स्वा.)	1033/1	1.104	0.083
योग:-		1	1.104	0.083
57	लीलाबाई पति शिवनारायण जाति धाकड़ नि.ग्रा.(भू.स्वा.)	1038/1/1	0.273	0.070
योग:-		1	0.273	0.070
58	गिरवर, नंदलाल, मनोहर, रामदयाल, संजना, रंजना पिता मानसिंह गीताबाई बैवा मानसिंह नि.ग्रा.भू. (फौती नामांतरण से संशोधित प्रतिष्ठी दर्ज)	1040/1/2	0.005	0.005
योग:-		1	0.005	0.005
59	प्रेमसिंह पिता लक्ष्मन जाति धाकड़ नि.ग्रा.(भू.स्वा.)	1040/2/1/2	0.009	0.009
योग:-		1	0.009	0.009
60	रामबगस, दोलतराम, कंवरलाल, लछ्मन पि. देवचन्द, हि. 25 पे., रामनारायण, मोती पि. गंगाधर, मु. भुली बेवा गंगाधर हि. 25 पे., भागौरथ, बापूलाल, बद्रीलाल, रामलाल, रामप्रसाद, पि. जगन्नाथ, हि. 8 पे., गोपीलाल, हरीराम पि. हजारी हि. 17 पे., पन्नालाल, शिवलाल, श्रीराम, भागमल पिता चिमना हि. 25 पे. जाति धाकड़ नि.ग्रा.(भू.स्वा.)	1050/2	0.707	0.020
योग:-		1	0.707	0.020
61	मांगीलाल पि. बल्देव, हि. 1/6 भाग, विजयसिंह पि. बल्देव, हि. 1/6 भाग, शांतिबाई पुत्री बल्देव, हि. 1/6 भाग, दरियावबाई पुत्री बल्देव, हि. 1/6 भाग राजूबाई पुत्री बल्देव, हि. 1/6 भाग, पार्वतीबाई बेवा पप्पू, गोपाल पि. पप्पू ना. बा. कुमकुम पि. पप्पू सर. माता पार्वतीबाई बेवा पप्पू हि. 1/6 भाग जाति राव, नि.ग्रा.(भू.स्वा.)	1097/2	0.081	0.071
		1100/1/3/1	0.015	0.015
		1100/1/5/1	0.081	0.041
		1101/1/2	0.005	0.005
		1102/1/2	0.261	0.007
		1102/4/2	0.027	0.027
		1103/1/2	0.104	0.084
योग:-		7	0.574	0.250

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	भूमि का कुल रकबा (हे.में)	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हे.में)
1	2	3	4	5
62	माधु, ओमप्रकाश, त्रिलोक, विष्णु, पुष्पाबाई, बबलू पिता अमरसिंह, नाबा. आर्यन पिता जितेन्द्र, संतोषबाई बैवा जितेन्द्र जाति राव पता नि.ग्रा.भू.	1100/1/4/2	0.025	0.025
		1101/2/2	0.294	0.080
		1102/2/2	0.268	0.238
		1311/1098/1/2	0.026	0.008
		1099/1/1/2	0.102	0.069
		1313/1098/1/2	0.025	0.015
		1099/1/2	0.234	0.050
योग:-		7	0.974	0.485
63	गीताबाई पति गंगाधर जाति धाकड़ नि.ग्रा.(भू.स्वा.)	1103/2/1/2	0.191	0.088
		1103/2/3/2	0.100	0.018
योग:-		2	0.291	0.106
64	मथरालाल पिता गिरधारी जाति धाकड़ नि.ग्रा.(भू.स्वा.)	1181/1/2	0.999	0.059
योग:-		1	0.999	0.059
65	सुनील पिता चुन्नीलाल जाति धाकड़ नि.ग्रा.(भू.स्वा.)	1181/2/2	0.633	0.078
योग:-		1	0.633	0.078
66	रमाबाई वर्मा पति बीरमसिंह जाति चमार	1182/3/1/2/2	0.234	0.014
	राधाबाई वर्मा पति बीरमलाल वर्मा	1182/3/1/2/3	0.235	0.014
योग:-		2	0.469	0.028
67	शिव पिता मनीराम जाति धाकड़ नि.ग्रा.(भू.स्वा.)	1183/1/3	0.068	0.068
		1184/1/2	0.076	0.076
		1185/2/2	0.218	0.194
योग:-		3	0.362	0.338
68	बापूलाल, बालकिशन ओमप्रकाश पिता भागीरथ, संतोषबाई पुत्री भागीरथ जाति चमार रामबाबू दुर्गाप्रसाद विलपबाई संजुबाई पिता शिवलाल जाति चमार	1196/2	0.390	0.048
योग:-		1	0.390	0.048
69	बालकिशन पिता अमरसिंह जाति धाकड़ नि.ग्रा. (भू.स्वा.)	1199/1/1	0.092	0.036
योग:-		1	0.092	0.036

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	भूमि का कुल रकबा (हे.में)	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हे.में)
1	2	3	4	5
70	कन्हैयालाल पिता अमरसिंह जाति धाकड़ नि.ग्रा.(भू.स्वा.)	1199/2/1	0.599	0.051
	योग:-	1	0.599	0.051
71	रामस्वरूप, लीलाबाई, पि. प्रेमनारायण हि. 50 पे. चन्द्रकलाबाई बेवा मोहनसिंह, सीमाबाई बबलीबाई, कविताबाई पुत्रिया मोहनसिंह हि. 50 पे. जाति धाकड़ नि. ग्रा. (भू.स्वा.)	800/1/1	0.452	0.074
	योग:-	1	0.452	0.074
72	राधेश्याम पिता ईश्वर जाति धाकड़ नि.ग्रा.(भू.स्वा.)	150/1/3/2	0.326	0.049
	योग:-	1	0.326	0.049
73	पुरबोत्तम पिता जसा हि. 1/2 भाग घीसाबाई पिता जसा हि. 1/2 भाग, जाति धाकड़ नि.ग्रा.(भू.स्वा.)	150/2/2	0.379	0.092
	योग:-	1	0.379	0.092
74	लक्ष्मीनारायण पिता जसा हि. 1/2 भाग कंचनबाई पिता जसा हि. 1/2 भाग, जाति धाकड़ नि.ग्रा.(भू.स्वा.)	150/3/1	0.151	0.044
		150/3/3	0.030	0.020
	योग:-	1	0.181	0.064
75	मोहन पिता रामबगस जाति धाकड़ पता नि.ग्रा.भू.	1039/2/1	0.100	0.007
	योग:-	1	0.100	0.007
76	लक्ष्मीचन्द्र बने सिंह फूलसिंह पिता काशीराम पुराबाई, जसोदा बाई, सुमित्रा बाई पुत्री काशीराम विकास पुत्र रामसिंह माँगीबाई बेवा रामसिंह जाति धाकड़ नि.ग्रा.(भू.स्वा.)	1039/3/1	0.063	0.033
	योग:-	1	0.063	0.033
77	चम्पा बाई बेवा देवीराम जाति धाकड़ नि.ग्रा.(भू.स्वा.)	1039/1/2	0.010	0.010
	योग:-	1	0.010	0.010
78	फूलसिंह पिता नंदराम जाति धाकड़ नि.ग्रा.(भू.स्वा.)	798/4/2/2	0.120	0.027
	योग:-	1	0.120	0.027
79	बद्रीलाल पिता अमरसिंह जाति धाकड़ नि.ग्रा.(भू.स्वा.)	798/5/1/1/2	0.020	0.020
	योग:-	1	0.020	0.020

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	भूमि का कुल रकबा (हे.मे)	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हे.मे)
1	2	3	4	5
80	गिरधारी पिता पुन्य जाति धाकड़ नि.ग्रा.(भू.स्वा.)	798/5/2/2	0.169	0.019
योग:-		1	0.169	0.019
81	देवीसिंह पिता गंगाधर जाति चमार नि.ग्रा.(भू.स्वा.)	1197/1/1/1/1	0.159	0.155
		1197/2/2	0.073	0.023
		1198/1/2	0.004	0.004
		1182/1,1182/2	0.822	0.112
		1182/3/1/1	0.138	0.008
		1095	0.329	0.009
		1198/3	0.152	0.010
योग:-		7	1.677	0.321
82	ओमप्रकाश,बापूलाल पिता भागीरथ जाति चमार नि.ग्रा.भू.	1197/1/1/1/2	0.116	0.055
योग:-		1	0.116	0.055
83	रामस्वरूप, लक्ष्मीनारायण, कमलाबाई, राधाबाई पुत्री शिवलाल, हि. 1/2 राधेश्याम, अशोक, रमेश, भागीरथ, पंकज, रेखाबाई पि. हजारीलाल, कलाबाई बेवा हजारीलाल हि. 1/2 जाति राव नि. ग्रा. (भू.स्वा.)	1103/2/2	0.126	0.010
योग:-		1	0.126	0.010
84	मोहन पिता बलराम जाति धाकड़ नि.ग्रा.(भू.स्वा.)	1105/1/3	0.112	0.050
योग:-		1	0.112	0.050
85	विजयसिंह, प्रदीप, पिता मोहनसिंह हि. 1/2 पवित्राबाई पति रामचन्द्र हि. 1/2 भाग, जाति चमार नि.ग्रा.(भू.स्वा.)	802/1/1	0.172	0.010
योग:-		1	0.172	0.010
86	द्रोपतीबाई पति शिवनारायण जाति ब्राह्मण नि.ग्रा.(भू.स्वा.)	800/1/2	0.732	0.030
योग:-		1	0.732	0.030
87	सुनील पिता गंगाधर जाति नाई नि.ग्रा.(भू.स्वा.)	1202/5	0.126	0.026
योग:-		1	0.126	0.026
88	कृष्णवल्लभ पिता ईश्वर जाति धाकड़ नि.ग्रा.(भू.स्वा.)	150/1/2	0.358	0.025
योग:-		1	0.358	0.025

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	भूमि का कुल रकबा (हे.मे)	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हे.मे)
1	2	3	4	5
89	प्रेमनारायण पिता हीरालाल, दरियावबाई, लीलाबाई, कलाबाई पुत्रिया हीरालाल जाति धाकड़ पता नि.ग्रा.भू.	796/3	0.164	0.030
योग:-		1	0.164	0.030
90	जयसिंह पिता अमरसिंह जाति धाकड़ नि.ग्रा.(भू.स्वा.)	798/5/1/2	0.080	0.015
योग:-		1	0.080	0.015
91	रामचन्द्र पिता देवीलाल जाति धाकड़ नि.ग्रा.(भू.स्वा.)	109/1/1	0.253	0.025
योग:-		1	0.253	0.025
92	रंगलाल पिता मनीराम जाति धाकड़	889/1	0.399	0.140
योग:-		1	0.399	0.140
93	रुकमाबाई बैवा अमरसिंह जाति धाकड़	795/2	0.074	0.010
योग:-		1	0.074	0.010
94	केशरसिंह,हीरालाल पिता हरिराम जाति धाकड़	1031/3	0.190	0.010
योग:-		1	0.190	0.010
95	जयसिंह पिता अमरसिंह जाति धाकड़ पता पीपलहेला	792/1/2	0.126	0.003
योग:-		1	0.126	0.003
कुल:-		कुलकिता 145	30.892	6.071

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व) ब्यावरा, जिला - राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

। .

राजगढ़, दिनांक 15 दिसम्बर 2023

क्रमांक/ R466 भू-अर्जन/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतित होता है कि संलग्न अनुसूची (2) के खाने (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची (2) के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सर्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पडने की संभावना है।

प्रकरण क्रमांक 15/अ-82 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि अनुसूची क्र. 0 में रामगंज मण्डी से भोपाल नई बडी रेल लाईन परियोजना हेतु भूमि का अर्जन हेतु तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ की आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है, अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है, कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की स.क्र.(6) में अंकित सर्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

अनुसूची(1)

ग्राम :- सागपुर		तहसील :- नरसिंहगढ़		
स.क्र.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा हे०		
		सिंचित	असिंचित	कुल
1	2	3	4	5
निजी	भूमि	0.070	-	0.070

अनुसूची(2)

स.क्र.	भूस्वामी का नाम	सर्वे न.	कुल रकबा	प्रभावित रकबा	विवरण
1	2	3	4	5	6
1	सत्येन्द्रसिंह पिता रामसिंह, मानकुंवर बेवा भूपेन्द्रसिंह, महेन्द्र सिंह पिता भूपेन्द्रसिंह, शैलेन्द्र सिंह पिता भूपेन्द्रसिंह, अरुण सिंह पिता भूपेन्द्रसिंह जाति राजपूत	12	0.354	0.020	रामगंज मण्डी से भोपाल नई बडी रेलवे लाईन में प्रभावित भूमि
2	बद्रीलाल पिता प्रभुलाल जाति तेली	8/1	2.529	0.050	
योग	भू-स्वामी-2	किता -2	2.883	0.070	

भूमि के नक्शे प्लान आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी राजस्व नरसिंहगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्रमांक/12468 भू-अर्जन/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतित होता है कि संलग्न अनुसूची (2) के खाने (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची (2) के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सर्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पडने की संभावना है।

प्रकरण क्रमांक 11/25-82 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि अनुसूची क्र 0 में रामगंज मण्डी से भोपाल नई बडी रेल लाईन परियोजना हेतु भूमि का अर्जन हेतु तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ की आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है, अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है, कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की स.क्र.(6) में अंकित सर्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

अनुसूची(1)

ग्राम :- कोलूखेडी		तहसील :- नरसिंहगढ़		
स.क्र.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा हे०		
		सिंचित	असिंचित	कुल
1	2	3	4	5
निजी	भूमि	1.353	-	1.353

अनुसूची(2)

स.क्र.	भूस्वामी का नाम	सर्वे न.	कुल रकबा	प्रभावित रकबा	विवरण
1	2	3	4	5	6
1	मांगीलाल पिता हीरालाल जाति अहीर	140/1	0.649	0.065	रामगंज मण्डी से भोपाल नई बडी रेलवे लाईन में प्रभावित भूमि
		150/3	0.603	0.055	
2	भोलाराम पिता हीरालाल जाति अहीर	140/2	0.649	0.010	
		149/3	0.649	0.010	
3	धनसिंह पिता घनश्याम गीता बाई बेवा घनश्याम जाति अहीर	140/3	1.095	0.265	

4	छबीलाल पिता भंवरलाल जाति अहीर	140/5	0.820	0.060	रामगंज मण्डी से भोपाल नई बडी रेल्वे लाईन में प्रभावित भूमि
5	बनेसिंह पिता हीरालाल जाति अहीर	152/5	0.422	0.165	
6	देवचंद पिता घीसालाल जाति दांगी	148/2	1.126	0.050	
7	नाथूलाल पिता भागचन्द जाति गाडरी	159/2	0.506	0.020	
8	संजु यादव पिता विजय सिंह जाति अहीर	159/1/1	0.379	0.010	
9	मुकेश, प्रकाशचन्द्र, रेखाबाई, ललताबाई पिता गंगाराम जाति अहीर	173/3	0.274	0.010	
10	शंभूसिंह, कमलसिंह, गोपालसिंह, पिता गंगाराम, दरियावबाई बेवा गंगाराम जाति दांगी	214/1	0.379	0.140	
11	लक्ष्मणसिंह, दिनेशकुमार पिता ऊकारबक्श जानीबाई बेवा ऊकारबक्श जाति दांगी	175/2	0.442	0.127	
		176/1			
		175/1/1	0.506	0.140	
12	जगदीशप्रसाद पिता गनपतलाल जाति अहीर	210/3/2	0.893	0.025	
13	भागीरथ पिता चतरा जाति अहीर	208	0.595	0.030	
		210/2	0.822	0.156	
14	बनेसिंह हेमराज पिता नंदराम श्यामाबाई, लीलाबाई, कौशल्याबाई पुत्रीया नन्दराम जाति दांगी	216	0.885	0.015	
योग	भू-स्वामी-14	19	11.694	1.353	

भूमि के नक्शे प्लान आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी राजस्व नरसिंहगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्रमांक/12478 भू-अर्जन/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतित होता है कि संलग्न अनुसूची (2) के खाने (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची (2) के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सर्वजानिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पडने की संभावना है।

इस बात प्रकरण क्रमांक 09/अ-8 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि अनुसूची क्र.0 में रामगंज मण्डी से भोपाल नई बडी रेल लाईन परियोजना हेतु भूमि का अर्जन हेतु तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ की आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है, अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है, कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की स.क.(6) में अंकित सर्वजानिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

अनुसूची(1)

ग्राम :- श्यामपुरा		तहसील :- नरसिंहगढ़		
स.क्र.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा हे0		
		सिंचित	असिंचित	कुल
1	2	3	4	5
निजी	भूमि	1.768	-	1.768

अनुसूची(2)

स.क.	भूस्वामी का नाम	सर्वे न.	कुल रकबा	प्रभावित रकबा	विवरण
1	शैरुसिंह पिता गोपीलाल जाति दांगी	186/2/1	0.475	0.250	रामगंज मण्डी से भोपाल नई बडी रेल्वे लाईन में प्रभावित भूमि
		185/5/4	0.250	0.065	
		184/2/4	0.451	0.210	
2	शैरुसिंह पिता गोपीलाल जाति दांगी	186/2/2	0.379	0.232	रामगंज मण्डी से भोपाल नई बडी रेल्वे लाईन में प्रभावित भूमि
		185/5/5	0.257	0.257	
		184/2/3	0.450	0.060	
3	दोलतराम पिता गोपीलाल जाति दांगी	187/1/1	0.157	0.080	रामगंज मण्डी से भोपाल नई बडी रेल्वे लाईन में प्रभावित भूमि
4	सवजीराम पिता भंवरलाल जाति दांगी	187/2/1	0.663	0.084	
		186/1	0.854	0.025	
5	देवकरण पिता रतीराम ललता बाई पत्नि देवकरण जाति जाटव	188/2	1.012	0.260	
6	जानीबाई बेवा गोपीलाल जाति दांगी	185/3	0.076	0.010	
7	कमलाबाई पति दोलतराम जाति दांगी	187/2/2	0.253	0.105	
8	अमरचंद पिता गंगाराम लक्ष्मीबाई पति अमरचंद्र जाति कोली भूमि स्वामी अहस्तारण	172/1/6	1.000	0.130	
योग	कुल भू-स्वामी -8	13	6.277	1.768	

भूमि के नक्शे प्लान आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी राजस्व नरसिंहगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

राजगढ़, दिनांक 18 दिसम्बर 2023

अनुपूरक प्रकरण क्रमांक 0024/अ-82/2023-24 (अंतर्गत धारा 19 भूमि अर्जन, पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013) चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची में रामगंज मंडी-भोपाल नई बड़ी रेल लाईन परियोजना में ग्राम अभयपुर, तहसील खिलचीपुर की कुल 1.483 हे. की भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है।

अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची-2 की भूमि की अनुसूची-1 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

—: अनुसूची-2 :-

रामगंज मंडी-भोपाल नई बड़ी रेल लाईन परियोजना रामगंज मंडी स्टेशन से भोपाल स्टेशन तक नई बड़ी रेल लाईन तहसील खिलचीपुर ग्राम अभयपुर में रेल्वे के लिये वर्णित छूटी हुई शेष भूमि का विवरण:-

(प्रभावित धारकों की सूची)

रामगंज मंडी से भोपाल तक नई बड़ी रेल लाईन परियोजना के लिए अतिरिक्त भूमि अर्जन का प्रस्ताव, अर्जित की जाने वाली निजी भूमि का विवरण

ग्राम अभयपुर

क्र	भूमि स्वामी का नाम पिता का नाम निवास स्थान	खसरा नंबर	कुल रकबा (हेक्टेयर)	अर्जितरक बा (हेक्टेयर)	अर्जित भूमि का प्रकार	भूमि पर स्थित परिसंपत्ति
1.	प्रभूबाई वेवा बालूसिंह देवीलाल, रामनारायण पिता बालूसिंह जाति सौंधिया निवासी खिलचीपुर भूस्वामी	27/2/1	0.050	0.050	सिंचित	
		योग	0.050	0.050	सिंचित	
2.	बिरमसिंह पिता भंवरलाल जाति सौंधिया नि. ग्रा. अभयपुर भूस्वामी	27/3 81/1/3	0.253 0.323	0.018 0.072		पीपल 1 सागोन 2
		योग	0.576	0.090	सिंचित	
3.	सोरमबाई बेवा जगन्नाथ (1/9) प्रेमनारायणा गीताबाई धापूबाई पिता धूलजी (1/3) नारायण पिता जगन्नाथ (1/9) अषोक	89/1	0.147	0.052		

	पिता जगन्नाथ (1/9) दयाराम पिता बापूलाल (1/3) जाति चमार नि. खिलचीपुर भूस्वामी					
		योग	0.147	0.052	सिंचित	
4.	घीसालाल, रामचन्द्र पिता मांगीलाल, बीरम पिता केशर गंगाबाई बेवा लक्ष्मीनारायण जाति सौंधिया निवासी अभयपुर भूस्वामी	88/1 88/3	0.300 0.592	0.268 0.065		
		योग	0.892	0.333	सिंचित	
5.	दरियावबाई पत्नि अमरसिंह जाति सौंधिया नि. अभयपुर भू-स्वामी	98/1/1	0.181	0.090		
		योग	0.181	0.090	सिंचित	
6.	नन्दराम पिता रामलाल जाति गुर्जर नि. अभयपुर भू-स्वामी	211/35 /1/1	0.773	0.773		
		योग	0.773	0.773	सिंचित	
7.	जगदीश भागीरथ पिता प्रेमसिंह जाति सौंधिया नि. अभयपुर भू-स्वामी	81/2/1	0.038	0.025		
		योग	0.038	0.025	सिंचित	
8.	भगवानसिंह कमलसिंह पिता गब्बा जाति सौंधिया नि. अभयपुर भू-स्वामी	20/2/1 20/2/3 83/2/1	0.036 0.037 0.172	0.036 0.037 0.022		
		योग	0.245	0.095	सिंचित	
9	केशरसिंह पिता नाथूलाल जाति सौंधिया नि. अभयपुर भू-स्वामी	20/1/3 /1/1	0.221	0.050	सिंचित	
		योग	0.221	0.050	सिंचित	
10	बद्रीलाल पिता प्रभुलाल जाति सौंधिया नि. अभयपुर भू-स्वामी	84/3/1	0.082	0.007		
		योग	0.082	0.007	सिंचित	

भूमि के नक्शे प्लान आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी राजस्व खिलचीपुर के कार्यालय में किया जा सकता है।

—: अनुसूची - 1 :-

अनुपूरक प्रकरण क्रमांक 0021/अ-82/2023-24 (अंतर्गत धारा 19 भूमि अर्जन, पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013) चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची में रामगंज मंडी-भोपाल नई बड़ी रेल लाईन परियोजना में ग्राम फतेहपुर, तहसील खिलचीपुर की कुल 1.205 हे. की भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है।

अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची-2 की भूमि की अनुसूची-1 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

—: अनुसूची-2 :-

रामगंज मंडी-भोपाल नई बड़ी रेल लाईन परियोजना रामगंज मंडी स्टेशन से भोपाल स्टेशन तक नई बड़ी रेल लाईन तहसील खिलचीपुर ग्राम फतेहपुर में रेलवे के लिये वर्णित छूटी हुई शेष भूमि का विवरण:-

(प्रभावित धारकों की सूची)

रामगंज मंडी से भोपाल तक नई बड़ी रेल लाईन परियोजना के लिए अतिरिक्त भूमि अर्जन का प्रस्ताव, अर्जित की जाने वाली निजी भूमि का विवरण

ग्राम फतेहपुर

क्र	भूमि स्वामी का नाम पिता का नाम निवास स्थान फतेहपुर	खसरा नंबर	कुल रकबा (हेक्टेयर)	अर्जित किया गया रकबा (हेक्टेयर)	भूमि का प्रकार	संपत्ति विवरण
1.	शिवप्रसाद पिता गोरधन जाति दांगी निवासी फतेहपुर भुस्वामी	25/2/1	0.279	0.210	सिंचित	
		योग	0.279	0.210		
2.	राजेश पिता गोरधन जाति दांगी निवासी फतेहपुर भुस्वामी	25/2/2	0.280	0.210	सिंचित	
		योग	0.280	0.210		
3.	मुकेश पिता गोरधन जाति दांगी निवासी फतेहपुर भुस्वामी	25/2/3	0.280	0.210	सिंचित	
		योग	0.280	0.210		
4.	शिवनारायण पिता मोती जाति दांगी निवासी फतेहपुर भुस्वामी	33/3/1	0.194	0.015	सिंचित	
		योग	0.194	0.015		
5.	नारायण पिता गंगाराम जाति दांगी निवासी फतेहपुर भुस्वामी	314/2 318/1/3 311/2/1/1	0.088 0.032 0.433	0.019 0.032 0.083	सिंचित	

		योग	0.553	0.134		
6.	शंकरलाल पिता जालम न्यादीबाई पिता जालम जाति दांगी निवासी फतेहपुर भुस्वामी	331/2	0.303	0.010	सिंचित	
		योग	0.303	0.010		
7.	सुगनबाई पिता मांगीलाल जाति चमार निवासी फतेहपुर भुस्वामी	329/3/1/2	0.506	0.086	सिंचित	
		योग	0.506	0.086		
8	मांगीलाल दरियावबाई नोरंगबाई पिता भेरूसिंह जाति दांगी निवासी फतेहपुर भुस्वामी	28/1/4/3	0.013	0.013	सिंचित	
		योग	0.013	0.013		
19	रमेश कंवरलाल पिता रतनलाल अनारबाई बेवा रतनलाल जाति दांगी निवासी फतेहपुर भुस्वामी	28/2/2	0.071	0.071	सिंचित	
		योग	0.071	0.071		
10	प्रहलाद पिता नरसंगलाल जाति दांगी निवासी खिलचीपुर भुस्वामी	28/1/5	0.371	0.221	सिंचित	
		योग	0.371	0.221		
11	भंवरलाल पिता नरसंगलाल जाति दांगी निवासी फतेहपुर भुस्वामी	28/1/3	0.304	0.025	सिंचित	
		योग	0.304	0.025		
		कुल योग	3.154	1.205		

भूमि के नक्शे प्लान आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी राजस्व खिलचीपुर के कार्यालय में किया जा सकता है।

—: अनुसूची - 1 :-

अनुपूरक प्रकरण क्रमांक 0014/अ-82/2023-24 (अंतर्गत धारा 19 भूमि अर्जन, पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013) चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची में रामगंज मंडी-भोपाल नई बड़ी रेल लाईन परियोजना में ग्राम धामन्या, तहसील खिलचीपुर की कुल 1.483 हे. की भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है।

अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची-2 की भूमि की अनुसूची-1 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

—: अनुसूची-2 :-

रामगंज मंडी-भोपाल नई बड़ी रेल लाईन परियोजना रामगंज मंडी स्टेशन से भोपाल स्टेशन तक नई बड़ी रेल लाईन तहसील खिलचीपुर ग्राम धामन्या में रेल्वे के लिये वर्णित छूटी हुई शेष भूमि का विवरण:-

(प्रभावित धारकों की सूची)

रामगंज मंडी से भोपाल तक नई बड़ी रेल लाईन परियोजना के लिए अतिरिक्त भूमि अर्जन का प्रस्ताव, अर्जित की जाने वाली निजी भूमि का विवरण

ग्राम धामन्या

क्र	भूमि स्वामी का नाम पिता का नाम निवास स्थान	खसरा नंबर	कुल रकबा (हेक्टेयर)	अर्जितरकबा (हेक्टेयर)	अर्जित भूमि का प्रकार	भूमि पर स्थित परिसंपत्ति
1	रतनसिंह पिता रामसिंह जाति सौंध्या निवासी धामन्या भू स्वामी	35/1/1	0.020	0.020	सिंचित	
		योग	0.020	0.020		
2	करणसिंह पिता रामसिंह जाति सौंध्या निवासी धामन्या भू स्वामी	35/2/1	0.063	0.063	सिंचित	
		योग	0.063	0.063		
3	लक्ष्मीनाराण, धीरपसिंह, सजनसिंह पिता हरिसिंह जाति सौंध्या निवासी धामन्या भू स्वामी	36/2	0.506	0.060	सिंचित	
		योग	0.506	0.060		
4	कमल सिंह पिता हरि सिंह जाति सौंध्या निवासी धामन्या भू स्वामी	33/2	0.130	0.100	सिंचित	
		33/3	0.095	0.062		
		योग	0.225	0.162		

5	प्रेमसिंह पिता भंवरलाल जाति सौंध्या निवासी धामन्या भू स्वामी	38/2	0.600	0.072	सिंचित	
		योग	0.600	0.072		
6	देवसिंह पिता जगन्नाथ जाति सौंध्या निवासी धामन्या भू स्वामी	38/3	0.405	0.046	सिंचित	
		योग	0.405	0.046		
7	सुल्तानसिंह पिता नारायणसिंह जाति सौंध्या निवासी धामन्या भू स्वामी	40/1/1/1	0.286	0.080	सिंचित	
		योग	0.286	0.080		
8	राधा बाई बेवा कमल सिंह अभिषेक , अंकित ना. बा. पिता कमल सिंह जाति सौंध्या निवासी धामन्या भूस्वामी	40/1/2/1	0.287	0.080	सिंचित	
		योग	0.287	0.080		
9	दर्याब सिंह पिता बिरम सिंह जाति सौंध्या निवासी धामन्या भूस्वामी	40/2/1	0.574	0.192	सिंचित	
		योग	0.574	0.192		
10	रामलाल पिता मेहताब जाति सौंध्या निवासी धामन्या भूस्वामी	41/3	0.310	0.054	सिंचित	
		योग	0.310	0.054		
11	बालूसिंह पिता गिरवरसिंह जाति सौंध्या निवासी धामन्या भूस्वामी	45/1	0.129	0.050	सिंचित	
		योग	0.129	0.050		
12	हेमती ,पार्वती पुत्रिया रतन सिंह जाति सौंध्या निवासी धामन्या भूस्वामी	43/2/1	0.316	0.183	सिंचित	
		योग	0.316	0.183		
13	भंवरलाल पिता देव सिंह जाति सौंध्या निवासी धामन्या भूस्वामी	43/1	0.367	0.074	सिंचित	
		46/1	0.168	0.050		
		योग	0.535	0.124		

रामगंज मंडी से भोपाल तक नई बड़ी रेल लाईन परियोजना के भूमि अर्जन का पूरक प्रस्ताव द्वारा अर्जित की जाने वाली निजी भूमि का विवरण

क्र	भूमि स्वामी का नाम पिता का नाम निवास स्थान	खसरा नंबर	कुल रकबा (हेक्टेयर)	अर्जितरकबा (हेक्टेयर)	अर्जित भूमि का प्रकार	भूमि पर स्थित परिसंपत्ति
1	धुलाबाई बेवा रोडजी भोनीसिंह पिता रोडजी जाति सौंध्या निवासी धामन्या भूस्वामी	247/10/3	0.321	0.082	सिंचित	
		योग	0.321	0.082		
2	हेमती ,पार्वती पुत्रिया रतन सिंह जाति सौंध्या निवासी धामन्या भूस्वामी	44/1	0.138	0.100	सिंचित	
		योग	0.138	0.100		
3	दर्याब सिंह पिता बिरम सिंह जाति सौंध्या निवासी धामन्या भूस्वामी	50/2/1	0.080	0.052	सिंचित	
		योग	0.080	0.052		
4	कमल सिंह पिता हरि सिंह जाति सौंध्या निवासी धामन्या भू स्वामी	33/3	0.095	0.063	सिंचित	
		योग	0.095	0.063		

भूमि के नक्शे प्लान आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी राजस्व खिलचीपुर के कार्यालय में किया जा सकता है।

--: अनुसूची - 1 :-

अनुपूरक प्रकरण क्रमांक 0012/अ-82/2023-24 (अंतर्गत धारा 19 भूमि अर्जन, पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013) चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची में रामगंज मंडी-भोपाल नई बड़ी रेल लाईन परियोजना में ग्राम गंगापुरा तहसील खिलचीपुर की कुल 4.017 हे. की भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है।

अतः भूमि अर्जन पुनर्वासि और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची-2 की भूमि की अनुसूची-1 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

--: अनुसूची-2 :-

रामगंज मंडी-भोपाल नई बड़ी रेल लाईन परियोजना रामगंज मंडी स्टेशन से भोपाल स्टेशन तक नई बड़ी रेल लाईन तहसील खिलचीपुर ग्राम गंगापुरा में रेलवे के लिये वर्णित छूटी हुई शेष भूमि का विवरण:-

(प्रभावित धारकों की सूची)

रामगंज मंडी से भोपाल तक नई बड़ी रेल लाईन परियोजना के लिए अतिरिक्त भूमि अर्जन का प्रस्ताव अर्जित की जाने वाली निजी भूमि का विवरण

क्र	भूमि स्वामी का नाम पिता का नाम निवास स्थान	खसरा नंबर	कुल रकबा (हेक्टेयर)	अर्जितरकबा (हेक्टेयर)	अर्जित भूमि का प्रकार	भूमि पर स्थित परिसंपत्ति
1	मोतीलाल पिता कालू , दर्यावबाई बेवा कालू जाति सौंध्या निवासी गंगापुरा भुस्वामी	9/2/1 1/8/2	0.224 0.125	0.072 0.051	सिंचित	
		योग	0.349	0.123		
2	हरी सिंह पिता जगन्नाथ जाति सौंध्या निवासी गंगापुराभुस्वामी	57/2/1/1	0.259	0.140	सिंचित	
		योग	0.259	0.140		
3	सोरमबाई पति मांगीलाल जाति सौंध्या निवासी गंगापुराभुस्वामी	56/1/1/1/ 2	0.316	0.235	सिंचित	

		योग	0.316	0.235		
4	कालीबाई पति रामलाल, छगनबाई पति अनारसिंह जाति सौंध्या निवासी गंगापुराभुस्वामी	55	0.429	0.218	सिंचित	
		योग	0.429	0.218		
5	हरीसिंह पिता परथीसिंह जाति सौंध्यानिवासी गंगापुराभुस्वामी	51/1/1	0.189	0.045	सिंचित	
		योग	0.189	0.045		
6	गिरवरसिंह पिता परथीसिंह जाति सौंध्यानिवासी गंगापुराभुस्वामी	51/2/1	0.189	0.045	सिंचित	
		योग	0.189	0.045		
7	अनारसिंह पिता हिन्दुसिंह जाति सौंध्या निवासी गंगापुराभुस्वामी	51/3/1	0.189	0.045	सिंचित	
		योग	0.189	0.045		
8	बिरम सिंह पिता मदन जातिसौंध्या निवासी गंगापुराभुस्वामी	28	0.656	0.024	सिंचित	
		योग	0.656	0.024		
9	गंगाराम पिता गोपीलाल जातिसौंध्या निवासी गंगापुरा भुस्वामी	1/18/1 49/1/1 50/2/3/1	0.095 0.368 0.111	0.095 0.368 0.111	सिंचित	
		योग	0.574	0.574		
10	मोहनलाल पिता लक्ष्मण कोशल्याबाई पति मोहन जातिबलाई निवासी सेमलीकलाँ भुस्वामी	1/16/12	0.500	0.265	सिंचित	
		योग	0.500	0.265		
11	गिरवरसिंह पिता गोपीलाल जाति सौंध्या निवासी गंगापुरा भुस्वामी	50/2/1	0.687	0.067	सिंचित	
		योग	0.687	0.067		

12	भारतसिंह पिता रतनलाल जाति सौंध्या निवासी गंगापुरा भुस्वामी	50/2/2	0.687	0.107	सिंचित	
		योग	0.687	0.107		

रामगंज मंडी से भोपाल तक नई बड़ी रेल लाईन परियोजना के भूमि अर्जन का पूरक प्रस्ताव द्वारा अर्जित की जाने वाली निजी भूमि का विवरण

क्र	भूमि स्वामी का नाम पिता का नाम निवास स्थान	खसरा नंबर	कुल रकबा (हेक्टेयर)	अर्जितरकबा (हेक्टेयर)	अर्जित भूमि का प्रकार	भूमि पर स्थित परिसंपत्ति
1	श्रीलाल पिता कालु जाति सौंध्यानिवासी गंगापुराभुस्वामी	1/22/1 1/25/1 5/2/1	0.493 0.174 0.227	0.312 0.050 0.227	सिंचित	
		योग	0.894	0.589		
2	करणसिंह मानसिंह पिता जगन्नाथ ,धीरपसिंह कमलसिंह पिता भवरलाल, सम्पतबाई बेवा भवरलाल, चंद्रकलाबाई संतोषबाई अनीताबाई पुत्री बनेसिंह,गोरीलाल श्रीलाल पिता बनेसिंह नोरंगबाई बेवा बनेसिंह, हरिसिंह पिता बापूलाल जाति सौंध्यानिवासी मोतीपुरा भुस्वामी	52/1	0.079	0.079	सिंचित	
		योग	0.079	0.079		
3	कालीबाई पति रामलाल, छगनबाई पति अनारसिंह जाति सौंध्या निवासी गंगापुराभुस्वामी	53/1	0.187	0.187	सिंचित	
		योग	0.187	0.187		
4	मोतीलाल पिता कालू , दर्यावबाई बेवा कालू जाति सौंध्या निवासी गंगापुरा भुस्वामी	1/8/2	0.125	0.074	सिंचित	
		योग	0.125	0.074		
5	गिरवरसिंह पिता गोपीलाल जाति सौंध्या निवासी गंगापुरा भुस्वामी	50/2/1	0.687	0.620	सिंचित	
		योग	0.687	0.620		
6	भारतसिंह पिता रतनलाल जाति सौंध्या निवासी गंगापुरा भुस्वामी	50/2/2	0.687	0.580	सिंचित	
		योग	0.687	0.580		

भूमि के नक्शे प्लान आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी राजस्व खिलचीपुर के कार्यालय में किया जा सकता है।

-: अनुसूची - 1 :-

अनुपूरक प्रकरण क्रमांक 0026/अ-82/2023-24 (अंतर्गत धारा 19 भूमि अर्जन, पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013) चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची में रामगंज मंडी-भोपाल नई बड़ी रेल लाईन परियोजना में ग्राम जालमपुरा, तहसील खिलचीपुर की कुल 1.483 हे. की भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है।

अतः भूमि अर्जन पुनर्वासि और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची-2 की भूमि की अनुसूची-1 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

-: अनुसूची-2 :-

रामगंज मंडी-भोपाल नई बड़ी रेल लाईन परियोजना रामगंज मंडी स्टेशन से भोपाल स्टेशन तक नई बड़ी रेल लाईन तहसील खिलचीपुर ग्राम जालमपुरा में रेल्वे के लिये वर्णित छूटी हुई शेष भूमि का विवरण:-

(प्रभावित धारकों की सूची)

रामगंज मंडी से भोपाल तक नई बड़ी रेल लाईन परियोजना के लिए पूरक भूमि अर्जन का प्रस्ताव, अर्जित की जाने वाली निजी भूमि का विवरण

ग्राम जालमपुरा

क्र	भूमि स्वामी का नाम पिता का नाम निवास स्थान	खसरा नंबर	कुल रकबा (हेक्टेयर)	अर्जितरक बा (हेक्टेयर)	अर्जित भूमि का प्रकार	भूमि पर स्थित परिसंपत्ति
1	बसंतकुमार गुप्ता पिता दामोदर दास गुप्ता जाति महाजन नि. खिलचीपुर भूस्वामी	62/1/1 62/1/3	0.042 0.043	0.042 0.020	सिंचित	
		योग	0.085	0.062		
2	रामनिवास पिता उकारवक्ष जाति सुतार नि. जालमपुरा (1/2) भगवीनसिंह पिता रामलाल जाति सौंधिया. नि. जालमपुरा भूस्वामी (1/2)	62/2/1 62/2/3	0.021 0.022	0.021 0.022	सिंचित	
		योग	0.043	0.043		
3	कमलसिंह पिता शिवसिंह जाति सौंधिया. नि. जालमपुरा भूस्वामी (1/2) रामलाल पिता नरभेसिंह जाति सौंधिया. नि. जालमपुरा भूस्वामी	63/1	0.050	0.050	सिंचित	

	(1/2)					
		योग	0.050	0.050		
4	प्रताप सिंह पिता पूरसिंह जाति सौंध्या. नि. खिलचीपुर भूस्वामी	67/3/1	0.073	0.073	सिंचित	
		योग	0.073	0.073		
5	बजेसिंह पिता मांगीलाल जाति सौंध्या. नि. जालमपुरा भूस्वामी	66/3	0.066	0.066	सिंचित	
		योग	0.066	0.066		
6	बिरम, रमेश, रामबाबू पिता कालू जाति चमार नि.ग्रा.जालमपुरा भू-स्वामी	71/7/1	0.648	0.100	सिंचित	
		योग	0.648	0.100		
7	नारानसिंह पिता लक्ष्मण जाति सौंध्या . नि. जालमपुरा भूस्वामी	89/2/1 89/2/3	0.004 0.005	0.004 0.005	सिंचित	
		योग	0.009	0.009		
8	बजेसिंह पिता उकारसिंह जाति सौंध्या निवासी जालमपुरा भूस्वामी	82/1/3	0.007	0.007	सिंचित	
		योग	0.007	0.007		
9	माधोसिंह पिता गेंदालाल जाति सौंध्या निवासी खिलचीपुर भू-स्वामी	79/2/1	0.026	0.026	सिंचित	
		योग	0.026	0.026		
10	राधेश्याम पिता जगन्नाथ जाति सौंध्या निवासी खिलचीपुर भू-स्वामी	83/1	0.220	0.004	सिंचित	
		योग	0.220	0.004		

भूमि के नक्शे प्लान आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी राजस्व खिलचीपुर के कार्यालय में किया जा सकता है।

-: अनुसूची - 1 :-

अनुपूरक प्रकरण क्रमांक 0027/अ-82/2023-24 (अंतर्गत धारा 19 भूमि अर्जन, पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013) चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची में रामगंज मंडी-भोपाल नई बड़ी रेल लाईन परियोजना में ग्राम गादियकला तहसील खिलचीपुर की कुल 0.715 हे. की भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है।

अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची-2 की भूमि की अनुसूची-1 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

-: अनुसूची-2 :-

रामगंज मंडी-भोपाल नई बड़ी रेल लाईन परियोजना रामगंज मंडी स्टेशन से भोपाल स्टेशन तक नई बड़ी रेल लाईन तहसील खिलचीपुर ग्राम गादियकला में रेल्वे के लिये वर्णित छूटी हुई शेष भूमि

(प्रभावित धारकों की सूची)

रामगंज मंडी से भोपाल तक नई बड़ी रेल लाईन परियोजना के लिए अतिरिक्त भूमि अर्जन का प्रस्ताव, अर्जित की जाने वाली निजी भूमि का विवरण

ग्राम गादियाकला

क्र	भूमि स्वामी का नाम पिता का नाम निवास स्थान	खसरा नंबर	कुल रकबा (हेक्टेयर)	अर्जितरकबा (हेक्टेयर)	अर्जित भूमि का प्रकार	भूमि पर स्थित परिसंपत्ति
1-	फूलसिंह पिता रूपजी जाति सोंधिया निवासी ग्राम भुस्वामी	168/1/1	0.023	0.023	सिंचित	
		योग	0.023	0.023		
2-	रमेश पिता माँगीलाल जाति सोंधिया निवासी ग्राम भुस्वामी	168/2/1/1	0.012	0.012	सिंचित	
		योग	0.012	0.012		
3-	बापूलाल पिता कवँरलाल जाति सोंधिया निवासी ग्राम भुस्वामी	168/2/1/2	0.011	0.011	सिंचित	
		योग	0.011	0.011		

4-	शिव पिता पुरा हरिसिंह पिता रूपजी जाति सौंधिया निवासी ग्राम भुस्वामी	165/4/1	0.096	0.096	सिंचित	एक कुआँ थालेदार अर्ध कच्चा, चंदन-1, नीम-2
		योग	0.096	0.096		
5-	माँगीलाल पिता भंवरजी जाति सौंधिया निवासी ग्राम भुस्वामी	173/1/1	0.084	0.084	सिंचित	
		योग	0.084	0.084		
6-	कैशर पिता पुरा जाति सौंधिया निवासी ग्राम भुस्वामी	172/4/1	0.244	0.224	सिंचित	
		योग	0.244	0.224		
7-	श्याम पिता भेरूलाल जाति चमार निवासी ग्राम भुस्वामी	147/1/1	0.076	0.076	सिंचित	
		योग	0.076	0.056		
8-	कमल पिता हरलाल जाति चमार निवासी ग्राम भुस्वामी	147/1/2	0.076	0.076	सिंचित	
		योग	0.076	0.076		
9-	हरलाल पिता नन्दा जाति चमार निवासी ग्राम भुस्वामी	147/2	0.152	0.152	सिंचित	
		योग	0.152	0.152		
10	नारायणसिंह पिता लक्ष्मन जाति सौंधिया निवासी ग्राम भुस्वामी	166/2/1	0.001	0.001	सिंचित	
		योग	0.001	0.001		

भूमि के नक्शे प्लान आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी राजस्व खिलचीपुर के कार्यालय में किया जा सकता है।

-: अनुसूची - 1 :-

अनुपूरक प्रकरण क्रमांक 0013/अ-82/2023-24 (अंतर्गत धारा 19 भूमि अर्जन, पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013) चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची में रामगंज मंडी-भोपाल नई बड़ी रेल लाईन परियोजना में ग्राम पुरा कुमारा, तहसील खिलचीपुर की कुल 3.681 हे. की भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है।

अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची-2 की भूमि की अनुसूची-1 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

-: अनुसूची-2 :-

रामगंज मंडी-भोपाल नई बड़ी रेल लाईन परियोजना रामगंज मंडी स्टेशन से भोपाल स्टेशन तक नई बड़ी रेल लाईन तहसील खिलचीपुर ग्राम पुरा कुमारा में रेल्वे के लिये वर्णित छूटी हुई शेष भूमि का विवरण:-

(प्रभावित धारकों की सूची)

रामगंज मंडी से भोपाल तक नई बड़ी रेल लाईन परियोजना के लिए अतिरिक्त भूमि अर्जन का प्रस्ताव, अर्जित की जाने वाली निजी भूमि का विवरण

ग्राम पूरा कुमार

क्र	भूमि स्वामी का नाम पिता का नाम निवास स्थान	खसरा नंबर	कुल रकबा (हेक्टेयर)	अर्जितरक बा (हेक्टेयर)	अर्जित भूमि का प्रकार	भूमि पर स्थित परिसंपत्ति
1	भवरलाल पिता गुलाब जाति सौंध्या निवासी पुराकुमारा भुस्वामी	28/1	0.672	0.083	सिंचित	
		33/2/1	0.286	0.087		
		योग	0.958	0.170		
2	मानसिंह पिता गुलाब , गेंदाबाई बेवा गुलाब जाति सौंध्या निवासी पुराकुमारा भुस्वामी	28/2	0.672	0.083	सिंचित	
		33/1/1	0.286	0.087		
		योग	0.958	0.170		
3	पर्वत सिंह पिता गुलाब जाति सौंध्या निवासी पुराकुमारा भुस्वामी	28/3	0.672	0.084	सिंचित	
		33/3/1	0.287	0.086		
		योग	0.959	0.170		
4	रतनलाल पिता नाथू जाति सौंध्या निवासी पुराकुमारा भुस्वामी	30/1	0.119	0.058	सिंचित	
		योग	0.119	0.058		

5	रामलाल पिता नाथू जाति सौंध्या निवासी पुराकुमारा भुस्वामी	30/2	0.119	0.058	सिंचित	
		योग	0.119	0.058		
6	कवरलाल, चन्दर सिंह, उदे सिंह पिता भवरलाल जतन बाई. बेवा भवरलाल जाति सौंध्या निवासी पुराकुमारा भुस्वामी	30/3	0.118	0.058	सिंचित	
		योग	0.118	0.058		
7	बीरमसिंह प्रसिंह पि. नंदा भगवान घनश्याम पि. रामलाल ग्यारसीबाई बैवा रामलाल जाति भील निवासी पुराकुमारा भुस्वामी	34/2/1 43/37	0.490 0.052	0.200 0.025	सिंचित	कच्चा कुआँ - 1,आम-2,महुआ- 8,बास-1,गुराड - 3,बैर-3,नीम- 6,मन्दिर ,मकान
		योग	0.542	0.225		
8	भगवान सिंह पिता नारायण सिंह जाति सौंध्या निवासी पुराकुमारा भुस्वामी	43/4/1/2	0.149	0.100	सिंचित	
		योग	0.149	0.100		
9	बिरम सिंह पिता नारायण सिंह जाति सौंध्या निवासी पुराकुमारा भुस्वामी	43/4/1/1	0.149	0.100	सिंचित	
		योग	0.149	0.100		
10	भेरुलाल पिता कंवरलाल अनोखेबाई पत्नी भेरुलाल जाति भील निवासी पुराकुमारा भुस्वामी	43/9/2/1	0.447	0.095	सिंचित	
		योग	0.447	0.095		
11	फूलसिंह पिता भंवरलाल गुलाबबाई पति फूलसिंह जाति भील निवासी पुराकुमारा भुस्वामी	43/9/5/1	0.393	0.120	सिंचित	पक्का कुआँ-1,बास- 1,बबूल-1,नीम-1, करंज-1
		योग	0.393	0.120		
12	बापू पिता मांगीलाल जानाबाई पति बापू जाति भील निवासी पुराकुमारा भुस्वामी	43/9/9/1	0.471	0.210	सिंचित	कच्चा कुआँ- 1,गुराड-1, करंज- 1
		योग	0.471	0.210		
13	देवीसिंह पिता रामलाल सिंह जाति सौंध्या निवासी पुराकुमारा भुस्वामी	43/21/2/1 43/21/2/3	0.020 0.339	0.020 0.297	सिंचित	
		योग	0.359	0.317		

रामगंज मंडी से भोपाल तक नई बड़ी रेल लाईन परियोजना के भूमि अर्जन का पूरक प्रस्ताव द्वारा अर्जित की जाने वाली निजी भूमि का विवरण

क्र	भूमि स्वामी का नाम पिता का नाम निवास स्थान	खसरा नंबर	कुल रकबा (हेक्टेयर)	अर्जितरक बा (हेक्टेयर)	अर्जित भूमि का प्रकार	भूमि पर स्थित परिसंपत्ति
1	बीरमसिंह प्रसिंह पि. नंदा भगवान घनश्याम चि. रामलाल ख्यारसीबाई बैवा रामलाल जाति भील निवासी पुराकुमारा भुस्वामी	34/2/1 43/13/1 43/16/1 43/17/2/1	0.490 0.798 0.023 0.360	0.034 0.126 0.023 0.163	सिंचित	पक्का कुआँ-1 नीम-2, शीशम- 1, महुआ-1, तेंदुआ- 1, बास-2, बेर- 2, करंज-1
		योग	1.671	0.346		
2	देवीशंकर पिता कालू जाति भील निवासी पुराकुमारा भुस्वामी	39/1 43/36/1	0.047 0.198	0.047 0.157	सिंचित	कच्चा कुआँ- 2, महुआ-5, बास- 1, गुराड-2, बकान- 1
		योग	0.245	0.204		
3	सम्पतबाई पत्नी जगन्नाथ जाति भील निवासी पिडावा झालावाड राजस्थान भुस्वामी	31/1/1	0.331	0.113	सिंचित	
		योग	0.331	0.113		
4	पारी बाई पति स्व कालू देवीशंकर पिता कालू जाति भील निवासी पुराकुमारा भुस्वामी	31/2/1	0.825	0.400	सिंचित	नीम-3, महुआ- 1, खाकरा- 1, रसोनि-1
		योग	0.825	0.400		
5	घीसालाल पिता भवरलाल जाति भील निवासी पुराकुमारा भुस्वामी	43/9/4/1	0.211	0.157	सिंचित	
		योग	0.211	0.157		
6	फुलसिंह पिता भवरलाल गुलाबबाई पति फुलसिंह जाति भील निवासी पुराकुमारा भुस्वामी	43/9/5/1	0.393	0.066	सिंचित	
		योग	0.393	0.066		
7	बिरम सिंह पिता नारायण सिंह जाति सौंध्या निवासी पुराकुमारा भुस्वामी	43/4/1/1	0.149	0.025	सिंचित	कच्चा कुआँ- 1, नीम-1
		योग	0.149	0.025		
8	भगवानसिंह पिता नारानसिंह जाति सौंध्या निवासी पुराकुमारा भुस्वामी	43/4/1/2	0.149	0.025	सिंचित	
		योग	0.149	0.025		
9	गंगाराम पिता धूला जाति सौंध्या निवासी पुराकुमारा भुस्वामी	43/5/1	0.225	0.182	सिंचित	
		योग	0.225	0.182		
10	कान्तिबाई पति बनेसिंह जाति भील निवासी पुराकुमारा भुस्वामी	43/17/1/1	0.291	0.140	सिंचित	कच्चा कुआँ- 1, नीम-1, खजुर- 1, महुआ-2
		योग	0.291	0.140		
11	उदेसिंह पिता भवरलाल जाति सौंध्या निवासी पुराकुमारा भुस्वामी	43/21/3	0.674	0.172	सिंचित	
		योग	0.674	0.172		

भूमि के नक्शे प्लान आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी राजस्व खिलचीपुर के कार्यालय में किया जा सकता है।

-: अनुसूची - 1 :-

अनुपूरक प्रकरण क्रमांक 0023/अ-82/2023-24 (अंतर्गत धारा 19 भूमि अर्जन, पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013) चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची में रामगंज मंडी-भोपाल नई बड़ी रेल लाईन परियोजना में ग्राम कमालपुरा, तहसील खिलचीपुर की कुल 2.475 हे. की भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है।

अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची-2 की भूमि की अनुसूची-1 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

-: अनुसूची-2 :-

रामगंज मंडी-भोपाल नई बड़ी रेल लाईन परियोजना रामगंज मंडी स्टेशन से भोपाल स्टेशन तक नई बड़ी रेल लाईन तहसील खिलचीपुर ग्राम कमालपुरा में रेल्वे के लिये वर्णित छूटी हुई शेष भूमि का विवरण:-

(प्रभावित धारकों की सूची)

रामगंज मंडी से भोपाल तक नई बड़ी रेल लाईन परियोजना के लिए अतिरिक्त भूमि अर्जन का प्रस्ताव अर्जित की जाने वाली निजी भूमि का विवरण

ग्राम:- कमालपुरा

क्र	भूमि स्वामी का नाम पिता का नाम निवास स्थान कमालपुरा	खसरा नंबर	कुल रकबा (हेक्टेयर)	अर्जित किया जाने वाले अतिरिक्त भूमि का रकबा (हेक्टेयर)	भूमि का प्रकार	परिसंपत्ति का विवरण
1	प्रदीप कुमार पिता शिवप्रसाद जाति गुप्ता निवासी ग्राम भूस्वामी	35	1.238	0.126	सिंचित	
	योग		1.238	0.126		
2	रतनलाल पिता पूरजी जाति सौध्या नि.ग्रा. भूस्वामी	36/1 37/1/2	0.063 0.177	0.063 0.145	सिंचित	कुआ पक्का 1
	योग		0.240	0.208		
3	बिहारीलाल पिता पूरजी जाति सौध्या नि.ग्रा. भूस्वामी	36/2 37/2/2	0.062 0.167	0.062 0.145	सिंचित	
	योग		0.229	0.207		
4	बीरमसिंह पिता समदा जाति सौध्या नि.ग्रा. भूस्वामी	37/3/1	0.395	0.145	सिंचित	
	योग		0.395	0.145		
5	मांगीलाल पिता रुगनाथ जाति सौध्या नि.ग्रा. भूस्वामी	38/2/1	0.337	0.083	सिंचित	
	योग		0.337	0.083		

6	कमरसिंह पिता रतनलाल जाति सौध्या नि.ग्रा. रघुनाथपुरा	38/2/2	0.379	0.107	सिंचित	
	योग		0.379	0.107		
7	मानसिंह पिता भंवरलाल जाति राव निवासी करणपुरा भूस्वामी	39/1/2 41/2	0.419 0.350	0.392 0.126	व्यावसायिक	
	योग		0.769	0.518		
8	माजसिंह पिता हीरालाल जाति सौध्या निवासी रघुनाथपुरा भूस्वामी	39/2/2	1.038	0.114	सिंचित	
	योग		1.038	0.114		
9	मोहित वर्मा पिता शिवकुमार वर्मा जाति मेहर निवासी शिवधाम कोलोनी राजगढ़	39/3/2	0.432	0.038	व्यावसायिक	टिन शेड
	योग		0.432	0.038		
10	मांगीलाल पिता अनार जाति सौध्या नि.ग्रा. भूस्वामी	41/1	1.374	0.526	सिंचित	यूकेलिप्टिस 4 बबुल 2
	योग		1.374	0.526		
11	निशांत सर्राफ पिता मधुरेश कुमार जाति महाजन नि.ग्रा. भूस्वामी	41/3	0.699	0.051	सिंचित	
	योग		0.699	0.051		
12	मयंक जायसवाल पिता मोहनलाल जायसवाल जाति कलाल नि. राजगढ़	41/4	0.349	0.127	सिंचित	
	योग		0.349	0.127		
13	मांगीलाल, करणसिंह, लक्ष्मीनारायण पिता रूगनाथ दरियावबाई बैवा अनारसिंह, भारतसिंह पिता अनारसिंह जाति सौध्या निवासी रघुनाथपुरा	42/1	1.041	0.225	सिंचित	बबुल 2
	योग		1.041	0.225		
	कुल योग		8.520	2.475		

भूमि के नक्शे प्लान आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी राजस्व खिलचीपुर के कार्यालय में किया जा सकता है।

-: अनुसूची - 1 :-

अनुपूरक प्रकरण क्रमांक 0019/अ-82/2023-24 (अंतर्गत धारा 19 भूमि अर्जन, पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013) चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची में रामगंज मंडी-भोपाल नई बड़ी रेल लाईन परियोजना में ग्राम रुगनाथपुरा, तहसील खिलचीपुर की कुल 3.523 हे. की भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है।

अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची-2 की भूमि की अनुसूची-1 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

-: अनुसूची-2 :-

रामगंज मंडी-भोपाल नई बड़ी रेल लाईन परियोजना रामगंज मंडी स्टेशन से भोपाल स्टेशन तक नई बड़ी रेल लाईन तहसील खिलचीपुर ग्राम रुगनाथपुरा में रेल्वे के लिये वर्णित छूटी हुई शेष भूमि का विवरण:-

(प्रभावित धारकों की सूची)

रामगंज मंडी से भोपाल तक नई बड़ी रेल लाईन परियोजना के लिए अतिरिक्त भूमि अर्जन का प्रस्ताव अर्जित की जाने वाली निजी भूमि का विवरण

ग्राम:- रुगनाथपुरा

क्र	भूमि स्वामी का नाम पिता का नाम निवास स्थान रघुनाथपुरा	खसरा नंबर	कुल रकबा (हेक्टेयर)	अर्जित किया जाने वाले अतिरिक्त भूमि का रकबा (हेक्टेयर)	भूमि का प्रकार	परिसंपत्ति विवरण
1	शिवसिंह पिता पूरजी जाति सौंध्या नि. ग्रा. भूस्वामी	35/3/2	0.861	0.298	सिंचित	
	योग	किता 1	0.861	0.298		
2	बालूसिंह मूलसिंह पिता नारानसिंह, धापूबाई बैवा नारानसिंह जाति राजपूत निवासी सेमली काकड	36/2/1	0.597	0.129	सिंचित	
	योग	किता 1	0.597	0.129		
3	शिवनारायण पिता मांगीलाल जाति गुर्जर नि.ग्रा. भूस्वामी	36/2/2/1	0.253	0.120	सिंचित	
	योग	किता 1	0.253	0.120		
4	गिरिराज पिता भगवान सिंह जाति सौंध्या नि.ग्रा. भूस्वामी	37/5/1/2	0.189	0.090	सिंचित	
	योग	किता 1	0.189	0.090		
5	ईश्वरसिंह पिता भगवानसिंह जाति सौंध्या नि.ग्रा. भूस्वामी	37/5/2/2	0.289	0.090	सिंचित	
	योग	किता 1	0.289	0.090		
6	कमलसिंह पिता बलवन्तसिंह जाति सौंध्या नि.ग्रा. भूस्वामी	37/6/2	0.365	0.258	सिंचित	
	योग	किता 1	0.365	0.258		
7	लक्ष्मीनारायण पिता रुगनाथ जाति सौंध्या नि.ग्रा. भूस्वामी	37/3/1/2	0.090	0.090	सिंचित	
	योग	किता 1	0.090	0.090		

8	दरियावबाई बैवा अनारसिंह जाति सौध्या नि.ग्रा. भूस्वामी	37/3/2/2	0.088	0.088	सिंचित	
	योग	किता 1	0.088	0.088		
9	बद्रीलाल पिता शिवसिंह जाति सौध्या नि.ग्रा. भूस्वामी	37/2/2/1	0.060	0.060	सिंचित	
		84/11/2	0.326	0.189		
	योग	किता 2	0.386	0.249		
10	बनेसिंह पिता शिवसिंह जाति सौध्या नि.ग्रा. भूस्वामी	37/2/2/2	0.219	0.180	सिंचित	
	योग	किता 1	0.219	0.180		
11	रतनसिंह पिता पूरजी जाति सौध्या नि. ग्रा. भूस्वामी	92/1/2	0.303	0.303		
		106/1	0.132	0.044	सिंचित	
	योग	किता 2	0.435	0.347		
12	बिहारीलाल पिता पूरा जाति सौध्या नि.ग्रा. भूस्वामी	92/2	0.363	0.021	सिंचित	
		106/2	0.131	0.044		
		107/2/2	0.268	0.201		
	योग	किता 3	0.762	0.266		
13	बीरमसिंह पिता समदा जाति सौध्या नि.ग्रा. भूस्वामी	92/3/1	0.473	0.224		
		100/3/2	0.325	0.076	सिंचित	
	योग	किता 2	0.798	0.300		
14	भंवरलाल पिता शिवनारायण जाति महाजन नि. ग्रा. भूस्वामी	93/2/1	0.274	0.274	सिंचित	
	योग	किता 1	0.274	0.274		
15	सुरेश पिता बनेसिंह जाति सौध्या नि.ग्रा. भूस्वामी	90/1/2	0.759	0.182	सिंचित	बबुल 1
	योग	किता 1	0.759	0.182		
16	शिवसिंह नारायण सिंह पिता पूरजी जाति सौध्या नि.ग्रा. भूस्वामी	101/2	1.280	0.452	सिंचित	
	योग	किता 1	1.280	0.452		
17	कमेरसिंह पिता रतनसिंह जाति सौध्या नि. ग्रा. भूस्वामी	107/1	0.518	0.110	सिंचित	
	योग	किता 1	0.518	0.110		
	कुल योग	किता 22	8.163	3.523		

भूमि के नक्शे प्लान आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी राजस्व खिलचीपुर के कार्यालय में किया जा सकता है।

-: अनुसूची - 1 :-

अनुपूरक प्रकरण क्रमांक 0042/अ-82/2023-24 (अंतर्गत धारा 19 भूमि अर्जन, पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013) चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची में रामगंज मंडी-भोपाल नई बड़ी रेल लाईन परियोजना में ग्राम दोबडा, तहसील जीरापुर की कुल 1.267 हे. की भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है।

अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची-2 की भूमि की अनुसूची-1 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

-: अनुसूची-2 :-

रामगंज मंडी-भोपाल नई बड़ी रेल लाईन परियोजना रामगंज मंडी स्टेशन से भोपाल स्टेशन तक नई बड़ी रेल लाईन तहसील जीरापुर के ग्राम दोबडा में रेल्वे के लिये वर्णित छूटी हुई शेष भूमि का विवरण:-

(प्रभावित धारकों की सूची)

रामगंज मंडी से भोपाल तक नई बड़ी रेल लाईन परियोजना के लिए अतिरिक्त भूमि अर्जन का प्रस्ताव अर्जित की जाने वाली निजी भूमि का विवरण

ग्राम:- दोबडा

क्र	भूमि स्वामी का नाम पिता का नाम निवास स्थान दोबडा	खसरा नंबर	कुल रकबा (हेक्टेयर)	अर्जित किया गया रकबा (हेक्टेयर)	भूमि का प्रकार	परिसंपत्ति विवरण
1	करणसिंह पिता रामसिंह जाति सौंधिया निवासी धामनिया	29/1 30/1/1	0.524	0.054 0.088	सिंचित	
		योग		0.142		
2	लालजी पिता गोपाल पुरीबाई बेवा नरभेसिंह बालूसिंह पिता नरभेसिंह चिंताबाई धापूबाई पिता नरभेसिंह उकारसिंह पर्वतसिंह पिता श्यामसिंह हरिसिंह करणसिंह रतनलाल पिता रामसिंह सरदारबाई बेवा रामसिंह जाति सौंधिया निवासी धामदा	28/1/1	1.412	0.012	सिंचित	
		योग	1.412	0.012		
3	इन्द्रसिंह शिवनारायण पिता रूपजी केसर बाई बेवा रूपजी जाति सौंधिया निवासी धामदा	30/2/1	1.876	0.130	सिंचित	
		योग	1.876	0.130		
4	बालूसिंह पिता शिवसिंह जाति सौंधिया निवासी दोबडा	71/2/1	0.052	0.052	सिंचित	
		योग	0.052	0.052		
5	पर्वतसिंह पिता गंदालाल जाति सौंधिया निवासी दोबडा	71/4/1	0.746	0.158	सिंचित	
		योग	0.746	0.158		
6	मोहनलाल पिता भागीरथ जाति ब्राह्मण निवासी दोबडा	70/2/1/1	0.257	0.055	सिंचित	पलाश 1 नीम 2 सेमला 1 सादल 1 पक्का कुआ 1
		योग	0.257	0.055		

7	शांतिबाई पति मोहनलाल जाति ब्राह्मण निवासी दोबडा	70/2/2/1	0.278	0.058	सिंचित	
		योग	0.278	0.058		
8	जितेंद्रसिंह नरेंद्रसिंह पिता रामरतन कृष्णाबाई बेवा रामरतन जाति सोंधिया निवासी दोबडा	70/3/1	0.600	0.020	सिंचित	बबूल 1 गादिया 1 पलाश 1
		योग	0.600	0.020		
9	ईश्वर पिता रमेश जाति ब्राह्मण निवासी दोबडा	70/1/1/2	0.209	0.020	सिंचित	
		योग	0.209	0.020		
10	ओमप्रकाश राजेश पिता रामबाबू जाति ब्राह्मण निवासी दोबडा	70/1/1/1	0.209	0.020	सिंचित	
		योग	0.209	0.020		
11	बापूलाल पिता गंगाराम जाति सोंधिया निवासी दोबडा	69/1	1.006	0.070	सिंचित	
		योग	1.006	0.070		
12	नारायणसिंह वल्लभबाई पुत्रपुत्री कालूसिंहजाति सोंधिया निवासी दोबडा	65/2/1/1	0.319	0.045	सिंचित	
		योग	0.319	0.045		
13	मदनसिंह लीलाबाई पुत्रपुत्री कालूसिंह जाति सोंधिया निवासी दोबडा	65/2/2/1	0.354	0.045	सिंचित	
		योग	0.354	0.045		
14	कमलसिंह पिता कालूसिंह धूलीबाई बेवा कालूसिंह जाति सोंधिया निवासी दोबडा	65/2/3/1	0.318	0.045	सिंचित	
		योग	0.318	0.045		
15	प्रेमसिंह पिता भेरुसिंह जाति सोंधिया निवासी दोबडा	65/1/1/1	0.263	0.156	सिंचित	नीम 1 सेमला 1
		योग	0.263	0.156		
16	बीरमसिंह पिता रामलाल जाति सोंधिया निवासी दोबडा	60/1/1	0.377	0.056	सिंचित	
		योग	0.377	0.056		
17	पिंकीबाई पति चंद्रसिंह जाति सोंधिया निवासी दोबडा	60/1/2	0.253	0.048	सिंचित	
		योग	0.253	0.048		
18	मदनसिंह पिता भेरु जाति सोंधिया निवासी दोबडा	60/2	0.630	0.090	सिंचित	
		योग	0.630	0.090		
19	सुल्तानसिंह पिता कालूसिंह जाति सोंधिया निवासी दोबडा	60/3/1	0.485	0.020	सिंचित	
		योग	0.485	0.020		
20	कालूसिंह पिता भेरूसिंह जाति सोंधिया निवासी दोबडा	62/1	1.137	0.025	सिंचित	
		योग	1.137	0.025		
		कुल योग		1.267		

भूमि के नक्शे प्लान आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी राजस्व खिलचीपुर के कार्यालय में किया जा सकता है।

-: अनुसूची - 1 :-

अनुपूरक प्रकरण क्रमांक 0022/अ-82/2023-24 (अंतर्गत धारा 19 भूमि अर्जन, पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013) चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची में रामगंज मंडी-भोपाल नई बड़ी रेल लाईन परियोजना में ग्राम जामोन्या, तहसील खिलचीपुर की कुल 2.695 हे. की भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है।

अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची-2 की भूमि की अनुसूची-1 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

-: अनुसूची-2 :-

रामगंज मंडी-भोपाल नई बड़ी रेल लाईन परियोजना रामगंज मंडी स्टेशन से भोपाल स्टेशन तक नई बड़ी रेल लाईन तहसील खिलचीपुर ग्राम जामोन्या में रेल्वे के लिये वर्णित छूटी हुई शेष भूमि का विवरण:-

(प्रभावित धारकों की सूची)

रामगंज मंडी से भोपाल तक नई बड़ी रेल लाईन परियोजना के लिए अतिरिक्त भूमि अर्जन का प्रस्ताव अर्जित की जाने वाली निजी भूमि का विवरण

ग्राम:- जामोन्या

क्र	भूमि स्वामी का नाम पिता का नाम निवास स्थान जामोन्या	खसरा नंबर	कुल रकबा (हेक्टेयर)	अर्जित किया गया रकबा	भूमि का प्रकार	परिसंपत्ति विवरण
1	नाथूसिंह विजयसिंह रामप्रताप पिता अमरसिंह धापूबाई वेवा कंवरलाल जाति दांगी नि. जामोन्या भूस्वामी	164/1/1	2.160	0.570	सिंचित	
		योग	2.160	0.570		
2	हीरालाल पिता घीसालाल जाति दांगी नि. जामोन्या भूस्वामी	168/1 169/1/2 170/1/2	0.152 0.299 0.269	0.065 0.090 0.070	सिंचित	
		योग	0.720	0.225		
3	मनोहर पिता भंवरलाल जाति दांगी नि. जामोन्या भूस्वामी	246/2/1	0.396	0.075	सिंचित	
		योग	0.396	0.075		
4	अर्जुनसिंह सुनिता पप्पी पिता लक्ष्मीनारायण अज्ञान पालन कर्त माता सोरमबाई पति लक्ष्मीनारायण दांगी नि. जामोन्या भूस्वामी	246/2/2	0.344	0.023	सिंचित	
		योग	0.344	0.023		
5	रमेश पिता भंवरलाल जाति दांगी नि जामोन्या भूस्वामी	246/2/3	0.397	0.076	सिंचित	
		योग	0.397	0.076		
6	चम्पालाल पिता भंवरलाल जाति दांगी नि जामोन्या भूस्वामी	247/1/1	0.040	0.020	सिंचित	
		योग	0.040	0.020		

7	रामचरण पिता किशनलाल पवन राकेश पिता गोरीलाल पालनकर्ता माता मू भागीबाई देवा गोरीलाल जाति दांगी नि. जामोन्या भूस्वामी	247/2/2	0.041	0.041	सिंचित	
		योग	0.041	0.041		
8	राधेश्याम गोकुलभाई रेशमबाई पिता बापूलाल, बदामबाई देवा बापूलाल जाति दांगी नि जामोन्या भूस्वामी	248/3/2	0.065	0.065	सिंचित	
		योग	0.065	0.065		
9	मोहन लाल पिता प्रहलाद जाति दांगी नि जामोन्या भूस्वामी	248/3/3	0.064	0.064	सिंचित	
		योग	0.064	0.064		
10	माधु पिता प्रहलाद जाति दांगी नि जामोन्या	248/3/4	0.064	0.064	सिंचित	
		योग	0.064	0.064		
11	बंशीलाल चौधमल पिता गुलाब जाति दांगी नि जामोन्या भूस्वामी	409/1 410/1	0.309 0.197	0.080 0.100	सिंचित	
		योग	0.309	0.180		
12	भांगीलाल पिता रामलालजाति दांगीनि जामोन्या भूस्वामी	283/1/1	0.059	0.015	0. सिंचित	
		योग	0.059	0.015		
13	गंगाधर चुन्नीलाल पिता जगन्नाथजाति दांगीनि जामोन्या भूस्वामी	283/1/2	0.059	0.015	सिंचित	
		योग	0.059	0.015		
14	गोरीलाल पिता घीसाजाति दांगीजाति दांगीनि जामोन्याभूस्वामी	283/3	0.089	0.015	सिंचित	
		योग	0.089	0.015		
15	देवसिंह पिता नंदरामजाति दांगीनि जामोन्या भूस्वामी	171/70/1	1.122	0.103	सिंचित	
		योग	1.122	0.103		
		कुल योग	5.929	1.551		

रामगंज मंडी से भोपाल तक नई बड़ी रेल लाईन परियोजना के लिए अर्जित की जाने वाली पूरक प्रस्ताव की भूमि का विवरण
ग्राम:- जामोन्या

क्र	भूमि स्वामी का नाम पिता का नाम निवास स्थान जामोन्या	खसरा नंबर	कुल रकबा (हेक्टेयर)	अर्जित किया गया रकबा	भूमि का प्रकार	परिसंपत्ति विवरण
1	पूनम चंद पिता भंवरलाल जाति दांगी नि जामोन्या भूस्वामी	171/4/1	1.259	0.450	सिंचित	
		योग	1.259	0.450		
2	हुजारीलाल पिता भंवरलाल जाति दांगी नि जामोन्या भूस्वामी	171/4/2	1.259	0.450	सिंचित	
		योग	1.259	0.450		
3	रामनारायण पिता भंवरलाल जाति दांगी नि जामोन्या भूस्वामी	171/4/3	0.244	0.244	सिंचित	
		योग	0.244	0.244		
		कुल योग	2.762	1.144		

भूमि के नक्शे प्लान आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी राजस्व खिलवीपुर के कार्यालय में किया जा सकता है।

हर्ष दीक्षित, कलेक्टर.

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला सिवनी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग**

क्र. 8943-जि.भू.अ.-2023

सिवनी, दिनांक 15 दिसम्बर 2023

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 15 (1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की अवधि में प्राप्त आपत्ति/आक्षेपों के निराकरण हेतु प्रकरण में दिनांक 22.11.2023 को सुनवाई की गई एवं आपत्ति/आक्षेपों की जांच कराई गई। जांच के आधार पर अधिनियम की धारा 15(2) के अंतर्गत कोई रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं है। इस आधार पर समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित निजी भूमि एवं उस पर स्थित स्थावर परिसंपत्तियों की सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन, पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूचियों के पद (2) में वर्णित भूमि एवं उस पर स्थित स्थाई परिसंपत्तियां लोक प्रयोजन हेतु आपेक्षित है:-

अनुसूची

परियोजना का नाम – गेल इंडिया की नागपुर छिंदवाड़ा जबलपुर प्राकृतिक गैस पाईप लाईन परियोजना

- 1- ग्राम का नाम :-बंजारी ब.नं.-548 प.ह.नं.-06
2- रा.नि.मं. :-धूसा तहसील:-लखनादौन जिला:-सिवनी
3- अर्जन हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल:-0.43 हेक्टेयर

स. क्र.	सर्वेक्षण संख्या	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्र. हेक्ट. में	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता	सीमाएं				वृक्ष		संरचनाएं	
						उत्तर	दक्षिण	पूर्व	पश्चिम	किस्म	संख्या	प्रकार	प्लिंथ एरिया
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	158/1	भूमिस्वामी	कृषि	0.43	शैलजा ठाकुर पिता प्रतिपालसिंह ठाकुर जाति गौड़ पता सिवनी लखनादौन सिवनी मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	जनीराम पिता पतिराम गौड़ की भूमि	ललीता बाई बेवा करोड़ गौड़ की भूमि	ग्राम की सीमा	शासकीय एन.एच.-7	सागौन पलास नीम बहेड़ा	2 2 1 1	सीमेंट पोल तार फेंसिंग	210 मीटर लंबाई
योग	01			0.43									

- अर्जित की जाने वाली उपरोक्त प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी लखनादौन जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है।
- अर्जित की जाने वाली उपरोक्त प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रबंधक (निर्माण) गेल (इंडिया) लिमिटेड कैम्प कार्यालय जबलपुर जिला जबलपुर के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
क्षितिज सिंघल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला डिण्डौरी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन
राजस्व विभाग**

क्र.-भू-अर्जन-28-अ-82-2023-24-494

डिण्डौरी, दिनांक 19 दिसम्बर 2023

(अंतर्गत आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति की कंडिका - 11(1))

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के पत्र दिनांक 12 नवम्बर 2014 द्वारा जारी आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति अनुसार डिण्डौरी विकासखण्ड स्थित बिजौरा जलाशय के अंतर्गत शीर्ष कार्य के डूब क्षेत्र से प्रभावित ग्राम बिजौरा प.ह.न. 43 रा.नि.म. डिण्डौरी जिला डिण्डौरी के कृषको की निजी भूमि अनुसूची अनुसार भू-धारकों की सहमति से भूमि क्रय करने का विचार किया जा रहा है:-

अनुसूची

	कृषक का नाम / पिता का नाम	ग्राम का नाम	खसरा	कुल रकवा में रु.	अर्जित कुल रकवा हेक्टर में	सार्वजनिक प्रयोजन
1	विक्रम पुत्र फगुवा	बिजौरा	38	0.250	0.250	बिजौरा जलाशय
			75	0.740	0.350	
			76	1.120	0.60	
2	रामलाल पुत्र तितरू	बिजौरा	39	0.250	0.25	
3	सैमलाल पुत्र मदत्ती	बिजौरा	58	0.490	0.490	
			69/1	1.190	0.400	
			72	1.500	0.500	
4	कुलदीप पुत्र सुन्दर	बिजौरा	59	0.830	0.830	
5	महावती पति भगुवा	बिजौरा	60	0.340	0.340	
6	बुधसेन पुत्र धन्ना, राजेन्द्र, राजाराम गेदलाल पुत्र धन्ना, मुल्ली पुत्री धन्ना, सुग्रीव बेवा धन्ना, सरजू, सुरेन्द्र पुत्र हृदय, सुनीता, समीला पुत्री हृदय, मोहवती पुत्री केवलसिंह, राजेश, संतोष पुत्र केवल, सरिता पुत्री केवल		61	0.680	0.680	
7	रतू पुत्र बलसैया	बिजौरा	62	1.160	1.160	
			457	1.040	1.040	
			614	1.710	1.710	
			692/63	0.070	0.070	
8	लम्मीबाई परस्ते पति अमरसिंह	बिजौरा	63/2	0.130	0.130	
			67/2	0.360	0.360	
9	बैशाखु पुत्र रातू, नन्हा पुत्र रातू, दल्पत पुत्र रातू, बैगिनबाई, गोदियाबाई, विसमतबाई, पचियाबाई पुत्री रातू, सरोजनी पति गनपत,	बिजौरा	64	0.060	0.060	
			450	0.180	0.180	
			570	0.800	0.800	
			603	0.300	0.300	

	सुखसेन पुत्र गनपत		604	1.720	1.720	बिजौरा जलाशय
10	रामवती,रमिहया पत्नी संपतदास, शांतिबाई पुत्री संपतदास	बिजौरा	65	0.200	0.080	
11	नारेन्द्र पुत्र गोविन्दसिंह, चेतना, सुनीता पुत्री गोविन्दसिंह	बिजौरा	66	0.450	0.230	
			566	0.460	0.460	
			609	1.100	1.100	
12	मत्तीबाई पत्नी करमसिंह, गणेश पुत्र करमसिंह, पुष्पा, अनुराधा, वृन्दा पुत्री करमसिंह	बिजौरा	68	0.740	0.740	
13	सुखलाल, सुरेश पुत्र कपिल, इन्द्रा पुत्र अन्तोनी, फूलझर पत्नी अन्तोनी, ईश्वर पुत्र अन्तोनी कमल, मीरा, कोपिया पुत्री अन्तोनी, सुशीला पुत्री कपिल	बिजौरा	69/2	1.180	0.700	
14	प्रेमवती पत्नी अमरसिंह, रणमत पुत्र अमरसिंह, द्रोपती, हमली पुत्री अमरसिंह	बिजौरा	70	0.670	0.670	
			453	1.850	1.850	
			571	0.220	0.220	
			572	0.820	0.820	
15	गिरवर पुत्र निरपत, अमरवती पुत्री निरपत, नरेन्द्र, प्रीतम पुत्र रमेश, मारतन, महेन्द्र, भगत, विनय पुत्र गुलाबसिंह, चमेली, सुहागनी पुत्री गुलाबसिंह		74	0.580	0.450	
16	रामसिंह पुत्र पतिलाल		77	0.450	0.080	
17	नरवदिया पुत्री मदती		78	1.030	0.030	
18	सुखलाल, सुरेश पुत्र कपिल, इन्द्रा पुत्र अन्तोनी, फूलझर पत्नी अन्तोनी ईश्वर पुत्र अन्तोनी कमल, मीरा, कोपिया पुत्री अन्तोनी सुशीला पुत्री कपिल		79	0.290	0.290	
19	संजय, पंकज पुत्र नानसिंह, ममता, अमरवती पुत्री नानसिंह, फगनी पत्नी हब्बीराम		80	0.590	0.350	
20	गोहवती पत्नी केवलसिंह		442	0.750	0.100	

		567	1.490	1.490	बिजौरा जलाशय
		606	1.430	1.430	
21	समलिया, तारा पुत्री पेमलसल, शोभाराम पुत्र पेमलसल	567/2	1.480	1.480	
22	गणेशसिंह पिता भददेलाल	445	3.370	0.300	
		451	0.290	0.290	
23	मंशाराम, दिलीप, अशोक पुत्र पातीलाल निरंजन, रामसिंह पुत्र पातीलाल, सावित्री, रतना पुत्री पातीलाल	56	1.840	0.250	
24	मंशाराम पिता पतिलाल	448	0.690	0.100	
		449	0.100	0.010	
25	दिगम्बर, राममिलन पुत्र गेदलाल, लक्ष्मी, कौशिल्या पुत्री गेदलाल	452	0.980	0.980	
26	केवलसिंह पुत्र सखाराम	453/2	0.900	0.900	
27	फजलू, कमल, पिता समारू, दूरवती पत्नी कमल, अमरत पिता कमलू, अमरसिंह, रायेमाथी पुत्र कमलु, अमरतिया, गंगावती पुत्री कमलु	454/1 458/1 459/1 568/1	0.220 0.060 0.220 0.060	0.220 0.060 0.220 0.060	
28	कार्तिकराम घुर्वे पिता छोटूसिंह घुर्वे	454/2	0.220	0.220	
		458/2	0.060	0.060	
		459/2	0.220	0.220	
		568/2	0.060	0.060	
29	फुदिया पत्नी नान्हूसिंह	454/3	0.220	0.220	
		459/3	0.230	0.230	
		568/3	0.070	0.070	
30	कमल, फजलू पुत्र समारू, दूरवती, अमर, अमरत, रमोतीगुडी, अमरतिया पिता कमलु, सुकलु, सुमल, बिजली, बिसमत, गणेशिया, बुद्धारिया पिता सहबू, छोटी, मदन, तिहारो, शुभी पिता छोटा	454/4 458/3 459/4 568/4	0.220 0.070 0.220 0.060	0.220 0.070 0.220 0.060	
31	फुन्देलाल पुत्र भौना	455	1.680	1.680	
		563	0.200	0.200	
32	पचली पत्नी रानाप्रताप, सुभाश, सुरेश, महेश पिता रानाप्रताप	456	0.420	0.420	
33	दुर्गा पुत्र कुरसिंह	460/1	0.570	0.050	

34	सबलसिंह पुत्र नजरू प्यारे पुत्र नजरू, सुखराम पिता कपिल, सुरेश पुत्र कपिल, कलसिया पुत्री कपिल	460/2	0.370	0.100	बिजौरा जलाशय
35	कुवरिया पुत्री नजरू	460/3	0.200	0.200	
36	सुखनंदन, लालदास, अकालीदास, कोमल पुत्र फूलसिंह, सुखीया, कमला, जीरा पुत्री फूलसिंह	462	0.660	0.02	
37	नान्हू पुत्र भकोस, मंगलो पत्नी रातू, बैशाखू, नानसिंह, दलपत पिता रातू, बैगिनबाई, गोदियाबाई, पछियाबाई, बिसमतबाई पुत्री रातू, सरोजनी पुत्री गनपत, सक्सेन पिता गनपत, लमिया, परवतिया पुत्री गनपत	559	0.190	0.190	
		560	0.120	0.120	
		562	0.910	0.910	
38	उर्मिला पति देवसिंह	561	0.670	0.670	
39	देवसिंह, जयसिंह पुत्र कोदूलाल, तिजोबाई पुत्री कोदूलाल, सरजू, सुरेन्द्र पुत्र हृदय सुनीता, शर्मिला पुत्री हृदय, बजारी पुत्री कार्तिक, आरती पुत्री बजारी	564	0.040	0.040	
40	कवलसिंह पुत्र सखाराम	607	0.190	0.190	
41	ननसा पुत्र लालसाईया	610	0.590	0.300	
42	सुकल सिंह पिता पुशव।	611/3	0.610	0.020	
43	दिगम्बर पिता गेंदलाल	615/1	1.280	0.500	
			49.780	35.440	

उपरोक्तानुसार क्रय की जा रही भूमि पर स्थित परिसंपत्तियों के संबंध में कोई आपत्ति है तो वह इस सूचना के प्रकाशन के 15 (दिवस) के भीतर लिखित रूप में स्वयं अथवा अभिभाषक के माध्यम से कलेक्टर डिण्डौरी के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है। नियत समयावधि के बाद दावे / आपत्तियां मान्य नहीं की जावेगी।

क्र.-भू-अर्जन-2023-24-33-अ-82-2023-24-510

डिण्डौरी, दिनांक 26 दिसम्बर 2023

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न सूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पडने की संभावना है। अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य भासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम एवं प.ह. नं.	भूमि का लगभग क्षेत्रफल (हेक्ट. में)	अधिनियम की धारा 12 के तहत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
01	02	03	04	05	06
डिण्डौरी	डिण्डौरी	सक्का माल प.ह.नं. 38	27.830 हेक्ट.	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 2 जिला मण्डला	राघवपुर बहुउद्देशीय परियोजना हेतु
कुल			27.830 हेक्ट.		

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिस के लिए आवश्यकता है- राघवपुर बहुउद्देशीय परियोजना के निर्माण हेतु।

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध किसी व्यक्ति द्वारा अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाइट www.mandla.nic.in & www.dindori.nic.in व मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाइट www.mprevenue.nic.in, पर भी देखी जा सकती है।

(4) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा0) डिण्डौरी या कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास, संभाग क्र. 2, मण्डला के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र.-भू-अर्जन-2023-24-34-अ-82-2023-24-511

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न सूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पडने की संभावना है। अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य भासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम एवं प.ह. नं.	भूमि का लगभग क्षेत्रफल (हेक्ट. में)	अधिनियम की धारा 12 के तहत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
01	02	03	04	05	06
डिण्डौरी	डिण्डौरी	इमलई माल प.ह.नं. 72	83.316 हेक्ट.	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 2 जिला मण्डला	राघवपुर बहुउद्देशीय परियोजना हेतु
कुल			83.316 हेक्ट.		

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिस के लिए आवश्यकता है- राघवपुर बहुउद्देशीय परियोजना के निर्माण हेतु।

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध किसी व्यक्ति द्वारा अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाइट www.mandla.nic.in & www.dindori.nic.in व मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाइट www.mprevenue.nic.in, पर भी देखी जा सकती है।

(4) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा0) डिण्डौरी या कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास, संभाग क्र. 2, मण्डला के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र.-भू-अर्जन-2023-24-35-अ-82-2023-24-512

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न सूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पडने की संभावना है। अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य भासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम एवं प.ह. नं.	भूमि का लगभग क्षेत्रफल (हेक्ट. में)	अधिनियम की धारा 12 के तहत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
01	02	03	04	05	06
डिण्डोरी	डिण्डोरी	लुटगांव रैयत प.ह.नं. 80	0.199 हेक्ट.	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 2 जिला मण्डला	राघवपुर बहुउद्देशीय परियोजना हेतु
कुल			0.199 हेक्ट.		

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिस के लिए आवश्यकता है- राघवपुर बहुउद्देशीय परियोजना के निर्माण हेतु।

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध किसी व्यक्ति द्वारा अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.mandla.nic.in & www.dindori.nic.in व मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट www.mprevenue.nic.in, पर भी देखी जा सकती है।

(4) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा0) डिण्डोरी या कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास, संभाग क्र. 2, मण्डला के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र.-भू-अर्जन-2023-24-86-अ-82-2023-24-513

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न सूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पडने की संभावना है। अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य भासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम एवं प.ह. नं.	भूमि का लगभग क्षेत्रफल (हेक्ट. में)	अधिनियम की धारा 12 के तहत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
01	02	03	04	05	06
डिण्डोरी	डिण्डोरी	रयपुरा माल प.ह.नं. 71	42.188 हेक्ट.	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 2 जिला मण्डला	राघवपुर बहुउद्देशीय परियोजना हेतु
कुल			42.188 हेक्ट.		

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिस के लिए आवश्यकता है- राघवपुर बहुउद्देशीय परियोजना के निर्माण हेतु।

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध किसी व्यक्ति द्वारा अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.mandla.nic.in & www.dindori.nic.in व मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट www.mprevenue.nic.in, पर भी देखी जा सकती है।

(4) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा0) डिण्डोरी या कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास, संभाग क्र. 2, मण्डला के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र.-भू-अर्जन-2023-24-37-अ-82-2023-24-514

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न सूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पडने की संभावना है। अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य भासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम एवं प.ह. नं.	भूमि का लगभग क्षेत्रफल (हेक्ट. में)	अधिनियम की धारा 12 के तहत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
01	02	03	04	05	06
डिण्डोरी	डिण्डोरी	औरई माल प.ह.नं. 69	51.436 हेक्ट.	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 2 जिला मण्डला	राघवपुर बहुउद्देशीय परियोजना हेतु
कुल			51.436 हेक्ट.		

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिस के लिए आवश्यकता है- राघवपुर बहुउद्देशीय परियोजना के निर्माण हेतु।

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध किसी व्यक्ति द्वारा अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.mandla.nic.in & www.dindori.nic.in व मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट www.mprevenue.nic.in, पर भी देखी जा सकती है।

(4) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा0) डिण्डोरी या कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास, संभाग क्र. 2, मण्डला के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र.-भू-अर्जन-2023-24-38-अ-82-2023-24-515

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न सूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पडने की संभावना है। अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य भासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम एवं प.ह. नं.	भूमि का लगभग क्षेत्रफल (हेक्ट. में)	अधिनियम की धारा 12 के तहत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
01	02	03	04	05	06
डिण्डोरी	डिण्डोरी	रहंगी माल प.ह.नं. 72	4.444 हेक्ट.	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 2 जिला मण्डला	राघवपुर बहुउद्देशीय परियोजना हेतु
कुल			4.444 हेक्ट.		

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिस के लिए आवश्यकता है- राघवपुर बहुउद्देशीय परियोजना के निर्माण हेतु।

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध किसी व्यक्ति द्वारा अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.mandla.nic.in & www.dindori.nic.in व मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट www.mprevenue.nic.in, पर भी देखी जा सकती है।

(4) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा0) डिण्डोरी या कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास, संभाग क्र. 2, मण्डला के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र.-भू-अर्जन-2023-24-39-अ-82-2023-24-516

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न सूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पडने की संभावना है। अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य भासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम एवं प.ह. नं.	भूमि का लगभग क्षेत्रफल (हेक्ट. में)	अधिनियम की धारा 12 के तहत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
01	02	03	04	05	06
डिण्डौरी	डिण्डौरी	धौरई माल प.ह.नं. 69	0.279 हेक्ट.	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 2 जिला मण्डला	राघवपुर बहुउद्देशीय परियोजना हेतु
कुल			0.279 हेक्ट.		

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिस के लिए आवश्यकता है- राघवपुर बहुउद्देशीय परियोजना के निर्माण हेतु।

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध किसी व्यक्ति द्वारा अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.mandla.nic.in & www.dindori.nic.in व मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट www.mprevenue.nic.in, पर भी देखी जा सकती है।

(4) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा0) डिण्डौरी या कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास, संभाग क्र. 2, मण्डला के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र.-भू-अर्जन-2023-24-40-अ-82-2023-24-517

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न सूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पडने की संभावना है। अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य भासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम एवं प.ह. नं.	भूमि का लगभग क्षेत्रफल (हेक्ट. में)	अधिनियम की धारा 12 के तहत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
01	02	03	04	05	06
डिण्डौरी	डिण्डौरी	धौरई रैयत प.ह.नं. 69	13.246 हेक्ट.	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 2 जिला मण्डला	राघवपुर बहुउद्देशीय परियोजना हेतु
कुल			13.246 हेक्ट.		

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिस के लिए आवश्यकता है- राघवपुर बहुउद्देशीय परियोजना के निर्माण हेतु।

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध किसी व्यक्ति द्वारा अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.mandla.nic.in & www.dindori.nic.in व मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट www.mprevenue.nic.in, पर भी देखी जा सकती है।

(4) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा0) डिण्डौरी या कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास, संभाग क्र. 2, मण्डला के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र.-भू-अर्जन-2023-24-41-अ-82-2023-24-518

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, इससे संलग्न सूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पडने की संभावना है। अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य भासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम एवं प.ह. नं.	भूमि का लगभग क्षेत्रफल (हेक्ट. में)	अधिनियम की धारा 12 के तहत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
01	02	03	04	05	06
डिण्डौरी	डिण्डौरी	इमलई रैयत प.ह.नं. 72	31.512 हेक्ट.	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 2 जिला मण्डला	राघवपुर बहुउद्देशीय परियोजना हेतु
कुल			31.512 हेक्ट.		

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिस के लिए आवश्यकता है- राघवपुर बहुउद्देशीय परियोजना के निर्माण हेतु।

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध किसी व्यक्ति द्वारा अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.mandla.nic.in & www.dindori.nic.in व मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट www.mprevenue.nic.in पर भी देखी जा सकती है।

(4) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा0) डिण्डौरी या कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास, संभाग क्र. 2, मण्डला के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र.-भू-अर्जन-2023-24-42-अ-82-2023-24-519

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न सूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पडने की संभावना है। अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य भासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम एवं प.ह. नं.	भूमि का लगभग क्षेत्रफल (हेक्ट. में)	अधिनियम की धारा 12 के तहत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
01	02	03	04	05	06
डिण्डौरी	डिण्डौरी	छपरी रैयत प.ह.नं. 80	15.359 हेक्ट.	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 2 जिला मण्डला	राघवपुर बहुउद्देशीय परियोजना हेतु
कुल			15.359 हेक्ट.		

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिस के लिए आवश्यकता है- राघवपुर बहुउद्देशीय परियोजना के निर्माण हेतु।

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध किसी व्यक्ति द्वारा अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.mandla.nic.in & www.dindori.nic.in व मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट www.mprevenue.nic.in पर भी देखी जा सकती है।

(4) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा0) डिण्डौरी या कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास, संभाग क्र. 2, मण्डला के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

विकास मिश्रा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 21 नवम्बर 2023

क्र.-B-8369-दो-2-35-2019.- श्रीमती निरूपमा श्रीवास्तव, डिप्टी रजिस्ट्रार(एम.), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 17 से 19 अक्टूबर 2023 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्रीमती निरूपमा श्रीवास्तव, डिप्टी रजिस्ट्रार(एम.), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती निरूपमा श्रीवास्तव, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो डिप्टी रजिस्ट्रार(एम.), के पद पर कार्यरत रहतीं।

जबलपुर, दिनांक 30 नवम्बर 2023

क्र.-B-8717-दो-3-66-2007.- श्री अजय पवार, रजिस्ट्रार(M), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 29 दिसम्बर 2023 से 25 जनवरी 2024 तक, अठाइस दिन का सेवानिवृत्ति पूर्व अवकाश (Leave Preparatory to retirement) स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री अजय पवार, रजिस्ट्रार(M), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

सेवानिवृत्ति पूर्व अवकाशकाल (Leave Preparatory to retirement) अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अजय पवार, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो रजिस्ट्रार(M), के पद पर कार्यरत रहते।

जबलपुर, दिनांक 6 दिसम्बर 2023

क्र.-B-9003-दो-2-14-2021.- श्री प्रदीप मित्तल, जिला न्यायाधीश (निरीक्षण), वृत्त ग्वालियर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक -3-(ए)19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2021 से 31 अक्टूबर 2023 तक दो वर्ष की ब्लाक अवधि हेतु तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,

यू. एस. दुबे, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी.

जबलपुर, दिनांक 21 नवम्बर 2023

क्र.-D-4776-दो-3-21-2021.- श्री रविन्दर सिंह, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, कटनी को दिनांक 7 से 9 दिसम्बर 2023 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 10 दिसम्बर 2023 के सार्वजनिक अवकाश के लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री रविन्दर सिंह, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, कटनी को कटनी पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री रविन्दर सिंह, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश, के पद पर कार्यरत रहते।

क्र.-D-4778-दो-2-67-2023.- श्री समीर कुलश्रेष्ठ, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, भोपाल को दिनांक 14 से 18 अक्टूबर 2023 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री समीर कुलश्रेष्ठ, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, भोपाल को भोपाल पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री समीर कुलश्रेष्ठ, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, के पद पर कार्यरत रहते।

क्र.-D-4780-दो-2-41-2021.- श्री मनोज कुमार मण्डलोई, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, श्योपुर को निम्नानुसार अवकाश निरस्त एवं स्वीकृत किया जावे:-

1. दिनांक 14 अक्टूबर 2023 का एक दिन का स्वीकृत ऐच्छिक अवकाश निरस्त किया जाता है।
2. दिनांक 14 से 15 अक्टूबर 2023 तक, दो दिन का अर्जित अवकाश एवं दिनांक 16 से 19 अक्टूबर 2023 तक चार दिन का कम्प्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री मनोज कुमार मण्डलोई, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, मध्यप्रदेश, श्योपुर को श्योपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित/कम्प्यूटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री मनोज कुमार मण्डलोई, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश, के पद पर कार्यरत रहते।

क्र.-D-4782-दो-2-59-2016.- श्री अरुण कुमार सिंह, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सागर को दिनांक 13 से 15 दिसम्बर 2023 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 16 एवं 17 दिसम्बर 2023 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री अरुण कुमार सिंह, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सागर को सागर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अरुण कुमार सिंह, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, के पद पर कार्यरत रहते।

क्र.-D-4784-दो-2-23-2020.- श्री के.एन. सिंह, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, जबलपुर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए)19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2021 से 31 अक्टूबर 2023 तक दो वर्ष की ब्लाक अवधि के लिये तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

जबलपुर, दिनांक 23 नवम्बर 2023

क्र.-B-8462-दो-2-37-2020.- श्री विवेक कुमार गुप्ता, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय उज्जैन को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए)19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2021 से 31 अक्टूबर 2023 तक दो वर्ष की ब्लाक अवधि के लिये तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र.-B-8464-दो-2-41-2021.- श्री मनोज कुमार मण्डलोई, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, श्योपुर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए)19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2021 से 31 अक्टूबर 2023 तक दो वर्ष की ब्लाक अवधि के लिये तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र.-B-8466-दो-2-34-2023.- श्री एस.एस. परमार, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अनूपपुर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए)19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2021 से 31 अक्टूबर 2023 तक दो वर्ष की ब्लाक अवधि के लिये तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

जबलपुर, दिनांक 24 नवम्बर 2023

क्र.-B-8494-दो-2-17-2016.- श्री एन.पी. सिंह, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, इन्दौर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए)19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2021 से 31 अक्टूबर 2023 तक दो वर्ष की ब्लाक अवधि के लिये तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र.-B-8497-दो-2-108-2017.- श्रीमती उषा गेडाम, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय उज्जैन को दिनांक 28 नवम्बर से 2 दिसम्बर 2023 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 30 अगस्त 2023 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 3 सितम्बर 2023 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्रीमती उषा गेडाम, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय उज्जैन को उज्जैन पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती उषा गेडाम, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाती तो अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, के पद पर कार्यरत रहतीं।

जबलपुर, दिनांक 2 दिसम्बर 2023

क्र.-B-8815-दो-2-10-2018.- सुश्री भावना साधौ, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पन्ना को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3(ए)19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2021 से 31 अक्टूबर 2023 तक दो वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र.-B-8819-दो-2-43-2020.- श्री अनिल कुमार सोहाने, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायसेन को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3(ए)19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2021 से

31 अक्टूबर 2023 तक दो वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र.-B-8821-दो-2-33-2023.- श्री अजय श्रीवास्तव, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सतना को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3-(ए)19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2021 से 31 अक्टूबर 2023 तक दो वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र.-B-8834-दो-2-35-2023.- श्री संजीव पाण्डेय, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीधी को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3-(ए)19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2021 से 31 अक्टूबर 2023 तक दो वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र.-B-8839-दो-2-15-2023.- श्री शेख सलीम, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, बुरहानपुर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3-(ए)19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2021 से 31 अक्टूबर 2023 तक दो वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र.-B-8841-दो-2-21-2022.- श्री रविन्दर सिंह, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, कटनी को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3-(ए)19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2021 से 31 अक्टूबर 2023 तक दो वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र.-B-8868-दो-2-44-2015.- डॉ. कुलदीप जैन, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, नीमच को दिनांक 16 नवम्बर 2023 का एक दिन का स्वीकृत अर्जित अवकाश, उपभोग नहीं करने के कारण निरस्त किया जाता है।

क्र.-D-5126-दो-2-64-2014.- श्री आर.के. गुप्त, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय रतलाम को दिनांक 28 नवम्बर से 16 दिसम्बर 2023 तक, उन्नीस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 26 एवं 27 नवम्बर 2023 के एवं अवकाश के पश्चात् में दिनांक 17 दिसम्बर 2023

के सार्वजनिक अवकाश के लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री आर.के. गुप्त, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय रतलाम को रतलाम पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर.के. गुप्त, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश, के पद पर कार्यरत रहते।

क्र.-D-5128-दो-2-39-2022.- श्री ललित किशोर, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शाजापुर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3-(ए)19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2021 से 31 अक्टूबर 2023 तक दो वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र.-D-5130-दो-2-2-2022.- श्रीमती ममता जैन, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, खण्डवा को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3-(ए)19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2021 से 31 अक्टूबर 2023 तक दो वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र.-D-5132-दो-2-75-2018.- श्री बी.पी. शर्मा, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, इन्दौर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3-(ए)19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2021 से 31 अक्टूबर 2023 तक दो वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र.-D-5134-दो-2-101-2017.- श्री सुबोध कुमार जैन, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रीवा को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3-(ए)19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2021 से 31 अक्टूबर 2023 तक दो वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र.-D-5145-दो-2-59-2016.- श्री अरुण कुमार सिंह, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय सागर को दिनांक 13 से 15 दिसम्बर 2023 तक, तीन दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश के

अनुक्रम में दिनांक 16 दिसम्बर 2023 का एक दिन का अर्जित अवकाश और स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री अरूण कुमार सिंह, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सागर को सागर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अरूण कुमार सिंह, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, के पद पर कार्यरत रहते।

Ø & D-5149-दो-2-53-2022.- श्री अनीष कुमार मिश्रा, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय झाबुआ को दिनांक 26 अक्टूबर से 8 नवम्बर 2023 तक, चौदह दिन का कम्प्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री अनीष कुमार मिश्रा, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, झाबुआ को झाबुआ पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्प्यूटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अनीष कुमार मिश्रा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश, के पद पर कार्यरत रहते।

क्र.-D-5151-दो-3-21-2022.- श्री रविन्दर सिंह, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय कटनी को दिनांक 16 से 17 नवम्बर 2023 तक, दो दिन का स्वीकृत अर्जित अवकाश उपभोग नहीं करने के कारण निरस्त किया जाता है।

क्र.-D-5153-दो-2-26-2022.- श्री संजय कुमार पाण्डेय, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय राजगढ़ को दिनांक 23 से 25 नवम्बर 2023 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 26 एवं 27 नवम्बर 2023 के सार्वजनिक अवकाश के लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री संजय कुमार पाण्डेय, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, राजगढ़ को राजगढ़ पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री संजय कुमार पाण्डेय, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश, के पद पर कार्यरत रहते।

जबलपुर, दिनांक 4 दिसम्बर 2023

क्र.-B-8885-दो-2-50-2015.- श्री सुरेश चन्द्र पाल, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय पन्ना को दिनांक 16 से 17 नवम्बर 2023 तक, दो दिन का स्वीकृत अर्जित अवकाश रजिस्ट्री आदेश क्रमांक बी-8192, दिनांक 8 नवम्बर 2023 द्वारा दिनांक 16 नवम्बर 2023 का अवकाश घोषित किये जाने तथा रजिस्ट्री आदेश क्रमांक बी-8177, दिनांक 8 नवम्बर 2023 द्वारा दिनांक 17 नवम्बर 2023 को विधान आम सभा चुनाव, 2023 हेतु अवकाश घोषित किये जाने से, श्री पाल द्वारा उक्त अवकाश का उपभोग नहीं किये जाने के कारण निरस्त किया जाता है।

क्र.-B-8887-दो-2-14-2015.- श्रीमती रेणुका कंचन, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दमोह को दिनांक 16 नवम्बर 2023 तक, एक दिन का स्वीकृत अर्जित अवकाश रजिस्ट्री आदेश क्रमांक बी-8192, दिनांक 8 नवम्बर 2023 द्वारा दिनांक 16 नवम्बर 2023 का अवकाश घोषित किये जाने से, उक्त अवकाश उपभोग नहीं किये जाने के कारण निरस्त किया जाता है।

क्र.-B-8892-दो-2-2-2021.- श्री आलोक अवस्थी, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जबलपुर को दिनांक 5 से 6 दिसम्बर 2023 तक, दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री आलोक अवस्थी, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आलोक अवस्थी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, के पद पर कार्यरत रहते।

क्र.-B-8900-दो-2-7-2019.- श्री राजेन्द्र प्रसाद सोनी, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शिवपुरी को दिनांक 17 से 20 अक्टूबर 2023 तक, चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 21 अक्टूबर 2023 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री राजेन्द्र प्रसाद सोनी, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शिवपुरी को शिवपुरी पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री राजेन्द्र प्रसाद सोनी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, के पद पर कार्यरत रहते।

क्र.-B-8902-दो-2-61-2023.- श्री पी.सी. गुप्ता, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, बैतूल को दिनांक 6 से 9 दिसम्बर 2023 तक, चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 10 दिसम्बर 2023 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री पी.सी. गुप्ता, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, बैतूल को बैतूल पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री पी.सी. गुप्ता, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश, के पद पर कार्यरत रहते।

क्र.-D-5155-दो-2-117-2017.- श्री संजीव कुमार अग्रवाल, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, धार को दिनांक 6 से 8 नवम्बर 2023 तक, तीन दिन का कम्प्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री संजीव कुमार अग्रवाल, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, धार को धार पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्प्यूटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री संजीव कुमार अग्रवाल, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, के पद पर कार्यरत रहते।

क्र.-D-5157-दो-2-15-2023.- श्री शेख सलीम, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, बुरहानपुर को दिनांक 2 से 4 नवम्बर 2023 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 5 नवम्बर 2023 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री शेख सलीम, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, बुरहानपुर को बुरहानपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री शेख सलीम, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश, के पद पर कार्यरत रहते।

जबलपुर, दिनांक 5 दिसम्बर 2023

क्र.-B-8928-दो-2-31-2018.- श्री मो. सैय्यदुल अबरार अंसारी, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, भिण्ड को दिनांक 4 से 9 दिसम्बर 2023 तक, छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 3 दिसम्बर 2023 के एवं अवकाश के पश्चात् में दिनांक 10 दिसम्बर 2023 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री मो. सैय्यदुल अबरार अंसारी, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, भिण्ड को भिण्ड पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि मो. सैय्यदुल अबरार अंसारी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र.-B-8946-दो-2-44-2015.- डॉ. कुलदीप जैन, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, नीमच को दिनांक 4 से 5 दिसम्बर 2023 तक, दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 3 दिसम्बर 2023 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर डॉ. कुलदीप जैन, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, नीमच को नीमच पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि डॉ. कुलदीप जैन, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश, के पद पर कार्यरत रहते।

क्र.-B-8950-दो-2-73-2023.- श्री अशोक गुप्ता, प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, जबलपुर को दिनांक 22 से 24 नवम्बर 2023 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री अशोक गुप्ता, प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अशोक गुप्ता, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र.-B-8954-दो-2-109-2017.- श्री डी.एन. मिश्र, तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, बालाघाट वर्तमान में माननीय न्यायाधिपति महोदय, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 19 अक्टूबर 2023 का एक दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री डी.एन. मिश्र, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, बालाघाट को बालाघाट पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री डी.एन. मिश्र, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश, के पद पर कार्यरत रहते।

क्र.-B-8961-दो-2-43-2020.- श्री अनिल कुमार सोहाने, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायसेन को दिनांक 11 से 14 दिसम्बर 2023 तक, चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 10 दिसम्बर 2023 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री अनिल कुमार सोहाने, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायसेन को रायसेन पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अनिल कुमार सोहाने, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, के पद पर कार्यरत रहते।

क्र.-B-8963-दो-2-35-2017.- श्री पवन कुमार शर्मा, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अशोकनगर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3-(ए)19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2021 से 31 अक्टूबर 2023 तक दो वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र.-B-8965-दो-2-14-2015.- श्रीमती रेणुका कंचन, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दमोह को दिनांक 8 से 16 दिसम्बर 2023 तक, नौ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 17 दिसम्बर 2023 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्रीमती रेणुका कंचन, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दमोह को दमोह पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती रेणुका कंचन, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, के पद पर कार्यरत रहतीं।

क्र.-B-8967-दो-2-30-2023.- श्रीमती नोरिन निगम, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, सतना को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3-(ए)19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2021 से 31 अक्टूबर 2023 तक दो वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र.-D-5180-दो-3-420-80-भाग-बारह.- डॉ. रमेश साहू, सेवानिवृत्त प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश (जिला एवं सत्र न्यायाधीश), कुटुम्ब न्यायालय, जबलपुर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के पत्र क्रमांक-3487-21-ब(एक)-2023 दिनांक 26 अप्रैल 2023 के संलग्न प्राप्त आर्डर शीट अवर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, भोपाल द्वारा अनुमोदित अखिल भारतीय सेवायें (अवकाश) नियम, 1955 के नियम-20ए के अनुसार श्री साहू को उनकी सेवानिवृत्ति दिनांक 31 अक्टूबर 2023 को निम्नानुसार अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

1.	अर्जित अवकाश	-	186
	अर्द्धवेतन अवकाश	-	110
			योग 296 दिवस

2. उक्त अवकाश के वेतन के समतुल्य राशि की गणना निम्नानुसार की जावेगी।
 - (i) अर्जित अवकाश के एवज में भुगतान = 186 दिवस का पूर्ण अवकाश वेतन.
 - (ii) सेवानिवृत्ति की तिथि को आधा अवकाश वेतन अनुज्ञेय+महंगाई भत्ता

अर्धवेतनिक

अवकाश के एवज = _____ x 110
में नगद भुगतान 30

क्र.-D-5182-दो-2-101-2017.- श्री सुबोध कुमार जैन, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रीवा को दिनांक 11 से 16 दिसम्बर 2023 तक, छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 10 दिसम्बर 2023

के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 17 दिसम्बर 2023 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री सुबोध कुमार जैन, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रीवा को रीवा पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री सुबोध कुमार जैन, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, के पद पर कार्यरत रहते।

क्र.-D-5184-दो-2-2-2022.- श्रीमती ममता जैन, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, खण्डवा को दिनांक 11 से 14 दिसम्बर 2023 तक, चार तीन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 10 दिसम्बर 2023 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्रीमती ममता जैन, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, खण्डवा को खण्डवा पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती ममता जैन, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाती तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, के पद पर कार्यरत रहतीं।

क्र.-D-5186-दो-2-4-2021.- श्री सुरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव (जून.), प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, छतरपुर को दिनांक 4 से 8 अक्टूबर 2023 तक, पांच दिन का कम्प्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री सुरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव (जून.), प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, छतरपुर को छतरपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्प्यूटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री सुरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव (जून.), उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश, के पद पर कार्यरत रहते।

क्र.-D-5188-दो-2-65-2018.- श्री सुनील कुमार जैन, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मण्डलेश्वर को दिनांक 11 से 16 दिसम्बर 2023 तक, छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 10 दिसम्बर 2023 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 17 दिसम्बर 2023 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री सुनील कुमार जैन, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मण्डलेश्वर को मण्डलेश्वर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री सुनील कुमार जैन, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, के पद पर कार्यरत रहते।

क्र.-D-5190-दो-2-33-2023.- श्री अजय श्रीवास्तव, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सतना को दिनांक 14 से 18 दिसम्बर 2023 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री अजय श्रीवास्तव, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सतना को सतना पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अजय श्रीवास्तव, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, के पद पर कार्यरत रहते।

जबलपुर, दिनांक 6 दिसम्बर 2023

क्र.-B-9024-दो-2-38-2020.- श्री अरुण कुमार वर्मा, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अलीराजपुर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3-(ए)19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2021 से 31 अक्टूबर 2023 तक दो वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र.-B-9026-दो-2-34-2023.- श्री महेन्द्र सिंह तोमर, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उमरिया को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3-(ए)19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2021 से 31 अक्टूबर 2023 तक दो वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र.-D-5208-दो-2-7-2019.- श्री राजेन्द्र प्रसाद सोनी, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शिवपुरी को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3-(ए)19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2021 से 31 अक्टूबर 2023 तक दो वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र.-D-5210-दो-2-48-2021.- श्री अरविन्द रघुवंशी, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, भोपाल को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3-(ए)19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2021 से 31 अक्टूबर 2023 तक दो वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र.-D-5212-दो-2-31-2018.- श्री मो. सैय्यदुल अबरार अंसारी, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, भिण्ड को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3-(ए)19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2021 से 31 अक्टूबर 2023 तक दो वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र.-D-5214-दो-2-31-2023.- श्री विजय सिंह कावछा, तृतीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, जबलपुर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3-(ए)19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2021 से 31 अक्टूबर 2023 तक दो वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र.-D-5216-दो-2-74-2023.- श्री देव नारायण मिश्र, तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, बालाघाट वर्तमान में न्यायाधीश उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3-(ए)19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2021 से 31 अक्टूबर 2023 तक दो वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र.-D-5228-दो-2-75-2017.- श्री रत्नेशचन्द्र सिंह बिसेन, तत्कालीन प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, राजगढ़-ब्यावरा वर्तमान में सदस्य सचिव, मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3-(ए)19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2021 से 31 अक्टूबर 2023 तक दो वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र.-D-5230-दो-2-20-2021.- श्री संजय कृष्ण जोशी, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मण्डला को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3-(ए)19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2021 से 31 अक्टूबर 2023 तक दो वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र.-D-5232-दो-2-18-2023.- श्री देवेन्द्र पाल सिंह गौर, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय दतिया को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3-(ए)19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2021 से 31 अक्टूबर 2023 तक दो वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
यू. एस. दुबे, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी.

No. B-9416-1-7-3-2023 (Part-1)

Jabalpur, the 14th December 2023

It is hereby notified that the following are the Vacation/Holidays of the High Court of Madhya Pradesh during the Year 2024.

Summer Vacation :- From 3rd June 2024 to 28th June, 2024.

Winter Vacation :- From 23rd December 2024 to 31st December, 2024.

Sr. No.	Name of Holidays	Dates as per Gregorian Calendar	Days of Week
1.	New Year's Holiday	01.01.2024	Monday
2.	Makar Sankranti	15.01.2024	Monday
3.	Republic Day	26.01.2024	Friday
4.	Basant Panchami	14.02.2024	Wednesday
3.	Mahashivratri	08.03.2024	Friday
6.	Holi (Dhuredi)	25.03.2024	Monday
7.	Bhaidooj	26.03.2024 27.03.2024 28.03.2024 29.03.2024	Tuesday Wednesday Thursday Friday
8.	Good Friday	29.03.2024	Friday
9.	Gudi Padwa/ Chaitichand	09.04.2024	Tuesday
10.	Id-UI-Fitar	11.04.2024	Thursday
11.	Ramnavmi	17.04.2024	Wednesday
12.	Buddh Purnima	23.05.2024	Thursday
13.	Id-UI-Zuha	17.06.2024	Monday
14.	Moharrum	17.07.2024	Wednesday
15.	Independence Day	15.08.2024	Thursday
16.	Raksha Bandhan	19.08.2024	Monday
17.	Janmashtmi	27.08.2024	Tuesday
18.	Ganesh Chaturthi	07.09.2024	Saturday
19.	Id-milad un-Nabi	16.09.2024	Monday
20.	Gandhi Jayanti/ Sarv Pitra Moksha Amavasya	02.10.2024	Wednesday
21.	Dussehra Holidays (12.10.2024 Dusschra)	07.10.2024 08.10.2024 09.10.2024 10.10.2024	Monday Tuesday Wednesday Thursday
	(11.10.2024) (Mahaashtami/ Mahanavmi)	11.10.2024	Friday

22. Deepawali Holidays (28 th October to 02 nd November, 2024)	28.10.2024	Monday
Dhanteras	29.10.2024	Tuesday
Chhoti Diwali	30.10.2024	Wednesday
Deepawali	31.10.2024	Thursday
Govardhan Pooja	01.11.2024	Friday
(Included in Deepawali holidays)	02.11.2024	Saturday
23. Gurunanak Jayanti	15.11.2024	Friday
24. Christmas Day	25.12.2024	Wednesday
Total : 35 Days		

NOTES :-

1. Dussehra dated 12.10.2024 falls on Saturday and Dr. Ambedkar Jayanti/Baisakhi dated 14.04.2024, Mahaveer Jayanti dated 21.04.2024 & Bhaideoj dated 03.11.2024 falls on Sunday therefore these holidays are not declared separately.
2. Saturdays falling on 13th & 20th January, 10th February, 9th & 16th March, 20th April, 11th & 18th May, 8th & 15th June, 13th July, 10th August, 14th September, 12th & 19th October, 9th & 16th November, 14th & 21st December will be closed Saturdays.
3. Saturdays falling on 6th & 27th January, 3rd & 24th February, 2nd, 23rd & 30th March, 6th & 27th April, 4th & 25th May, 1st & 29th June, 6th & 27th July, 3rd & 31st August, 28th September, 5th & 26th October, 23rd & 30th November, 7th December will be Non Court working Saturdays. The Registry shall remain open on these Saturdays.
4. Saturdays falling on 17th February, 13th April, 20th July, 17th & 24th August & 21st September will be working Saturdays of High Court.
5. Summer Vacation of High Court shall be from 3rd June, 2024 to 28th June, 2024 and Winter Vacation from 23rd December, 2024 to 31st December, 2024.
6. Due to uncertainty relating to Id-Ul-Fitar, Id-Ul-Zuha, Moharrum, Id-Milad un-Nabi or any other holiday, the same may be modified as directed by Hon'ble Chief Justice.

By Order of the High Court,
MANOJ KUMAR SHRIVASTAVA, Registrar General.